इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट **समाचार पत्रिका**

वर्ष 16,अंक 1

जनवरी से मार्च 2009

आधीन और अधूरी आधी दुनिया
रागिनी नायक

असंगठित वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून

दवाइयों की नहीं दाइयों की दरकार
हेमांगिनी गुप्ता

आईएसएसटी गतिविधियां

यह अंक

8 मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। साल में एक दिन महिलाओं के नाम समर्पित कर देने से क्या उनके कष्ट कम हुए हैं ? या परिवार में, समाज में उनकी स्थिति में बदलाव आया है ? एक तरफ महिला दिवस मनाया जाता है तो दूसरी तरफ कन्या भ्रूण हत्या करके महिला का अस्तित्त्व ही समाप्त कर दिया जाता है।

325 दिन में से महिलाओं को मिला एक दिन भी खटकने लगा है। अतः महिला दिवस मनाया जाये या नहीं इस पर भी काफी चर्चा हुई है।

प्रस्तुत है इस अंक में महिलाओं की स्थिति के बारे में रागिनी नायक और 'महिला दिवस मनाया जाये या नहीं' बुद्धिजीवियों के विचार।

हमारे देश में 60 प्रतिशत प्राकृतिक प्रसव होते हैं, लेकिन ये गांव और छोटे शहरों तक सीमित हैं। विस्मृत हो चुकी प्राकृतिक प्रसव की यह परंपरा बड़े शहरों में भी आ रही है। व्यावसायिक बनते जा रहे अस्पतालों के कटु अनुभवों के कारण लोगों ने प्राकृतिक परंपरा की समयसिद्ध परंपरा को अपनाना शुरू किया है।

सुरक्षित प्राकृतिक प्रसव के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बर्थ इंडिया जैसे संगठन काम कर रहे हैं। आज देश के हर कोने में सीताबाई जैसी कितनी दाइयां होंगी, जिन्होंने जीविका के लिए कोई और धंधा अपना लिया होगा।

आज जरूरत है इन्हें ससम्मान वापिस लाने की। इस विषय पर प्रस्तुत है हेमांगिनी गुप्ता के विचार।

इसके साथ ही आईएसएसटी में चल रही विभिन्न गतिविधियों की भी एक झलक मिलेगी।

आधीन और अधूरी आधी दुनिया

रागिनी नायक

महिला दिवस की रस्म अदायगी से बाहर निकल कर एक ऐसे समाज की संरचना जरूरी है जहां महिलाओं और पुरुषों के समानाधिकार हों और साथ ही एक दूसरे के अधिकारों के प्रति वे संवेदनशील भी हों।

जन्नत छीने जाने का दोष संसार की पहली महिला को मिला और आज हजारों साल बाद वो दोष और अपराध–भाव सामाजिक मानसिकता का अभिन्न अंग बन गए हैं। सदियों से यही मान्यता है कि पुरुष श्रेष्ठ और नारी हीन। शायद इसीलिए उसे ज्यादातर जन्म ही नहीं लेने दिया जाता, पढ़ने–लिखने नहीं दिया जाता, बचपन से ही सिखाया जाता है कि पुरुष की छत्रछाया अनिवार्य है, आजीवन हिंसा, दमन और शोषण का शिकार बनाया जाता है। यही नहीं, समाज में उसकी भूमिका भी पुरुषों से उसके संबंधों पर निर्भर है। मुख्यतः बेटी, पत्नी और मां। अच्छी महिला वही है जो इन तीनों भूमिकाओं में पुरुषवादी मानसिकता के मापदंड पर उत्तीर्ण हो। हमेशा स्त्री पुरुषों के नजरिए से देखी–परखी जाती है। इसीलिए अपनी निजी पहचान बनाना उसके लिए जरूरी नहीं। और हो भी क्यों ? आखिर खुदा ने भी उसे अपनी छवि के आधार पर नहीं बल्कि पुरुष के शरीर से बनाया था। इसीलिए औरतों को यह ऋण तो कयामत तक चुकाना ही होगा।

हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी आठ मार्च यानी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन सारे विश्व की महिलाएं एक दिन अपनी आजादी, अपने अस्तित्त्व का जश्न मनाते हुए 364 दिन की गुलामी को स्वीकार कर रही हैं। क्यों नहीं मनाया जाता पुरुष अंतर्राष्ट्रीय दिवस ? क्योंकि पुरुष प्रधान विश्व में अपने वर्चस्व का ढिंढोरा पीटना उनके लिए जरूरी नहीं है। ये झुनझुना तो महिलाओं को पकड़ाया जाता है उन्हें भ्रम में रखने के लिए। महिलाएं भले ही इस बात से पूरी तरह अवगत न हों पुरुष जरूर हैं कि यदि दुनिया की पहली औरत इतनी सक्षम थी कि खुदा से टक्कर लेकर दुनिया उलट दे तो आज संसार की सारी औरतें चाहें तो पल भर में इस उल्टी दुनिया को सीधा कर सकती हैं। इसीलिए उन्हें महान, सहनशील, ममता की मूर्ति, देवी, शक्ति आदि विशेषणों से लाद कर भ्रमित किया जाता है।

'यत्र पूज्यते नारी, तत्र रमन्ते देवता।' यानी कि जहां नारी की पूजा होती है, वहीं देवताओं का वास होता है। इसीलिए एक तरफ तो नारी को शक्ति का स्वरूप मानकर पूजा करने का दिखावा करो और दूसरी ओर छलावे में रखकर समानाधिकार से वंचित रखो। वास्तविक जिंदगी में औरतों के प्रति पूरे विश्व में और खासतौर पर हमारे देश में कितना आदर भाव है, ये तो हम सब भली–भांति जानते हैं। हम जानते हैं कि आज भी महिलाओं का जीवन एक भय के साये में बीतता है – कभी भीड़ का डर तो कभी सुनसान रास्तों का, कभी छलनी करते व्यंगों का डर तो कभी समाज की चुभती निगाहों का। आज भी, यदि कुछ अपवादों को अनदेखा किया जाए तो औरत समाज के हाशिए पर खड़ी है। ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना तो तभी सार्थक होगा जब हर क्षेत्र में सभी वर्गों की महिलाएं समाज के हाशिए से निकल कर मुख्यधारा में आएं।

हमारे देश में आजादी के बाद संपत्ति, गुजारा भत्ता, बच्चों का संरक्षण, तलाक, घरेलू हिंसा, बाल–विवाह, कन्या शिक्षा, कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम, दहेज–हत्या आदि के संदर्भ में कई कानून बनाए गए। यह कहना भी गलत नहीं होगा कि इन कानूनों और महिला सशक्तिकरण योजनाओं के कारण, महिलाओं के विकास और उत्थान का आगाज भी हुआ। लेकिन यह विकास सतही ही रह गया। शायद इसका सबसे बड़ा कारण है कि कानून कितना ही सक्षम क्यों न हो जब तक वह सामाजिक

महिला दिवस
प्रशांत जैन

आम लोगों के साथ–साथ विशेषज्ञों का भी यही मानना है कि महिलाओं ने तरक्की तो की है, लेकिन अभी उनके सामने बहुत से चैलेंज बाकी हैं। इसीलिए अभी महिला दिवस मनाया जाना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत हैं यहां कुछ लोगों के विचार :

अलग–अलग देशों में रहने वाली महिलाएं अलग–अलग परेशानियों से जूझ रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन पूरे विश्व की महिलाएं एक मंच पर इकट्ठी होकर अपने दुख–दर्द को सबके सामने रखती हैं। ऐसे में महिलाओं की तरक्की की दुहाई देकर महिला दिवस नहीं मनाने की मांग बिल्कुल बेबुनियाद है।
गिरिजा व्यास, अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग

इस तरह की बेबुनियाद मांगें हर साल उठायी जाती हैं। महिला दिवस का मतलब महिलाओं द्वारा अपनी मांग को उठाने का एक अवसर होता है। किसी के इसे खत्म करने की मांग करने से यह दिवस खत्म नहीं हो सकता।
वृंदा करात, मेंबर, सीपीएम पोलित ब्यूरो

पूरे साल में केवल एक ही दिन तो महिलाओं की बात होती है, उसे भी नहीं मनाने की बात बिल्कुल गलत है। यह सही है कि महिलाओं की स्थिति ठीक हुई है, लेकिन इतनी नहीं कि महिला दिवस मनाना बंद कर दें। अभी महिलाओं के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है।
नीलम शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार

जब तक महिलाओं को पूरी आजादी नहीं मिल जाती, तब तक महिला दिवस मनाने की जरूरत रहेगी। अभी महिलाओं के हित में सिर्फ कुछ ही कदम चले गए हैं और पूरा रास्ता पार करने में बहुत वक्त लगेगा, इसीलिए महिला दिवस खत्म करने की मांग मूर्खतापूर्ण है।
अभय कुमार दुबे, समाजशास्त्री, सीएसडीएस

माना कि महिलाओं ने कुछ तरक्की कर ली है और इसका प्रभाव समाज पर दिख भी रहा है, लेकिन अभी भी भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा, देह व्यापार और यौन अत्याचार जैसे तमाम चैलेंजों से निपटना बाकी है। इनके कारण आने वाले सौ सालों तक महिला दिवस मनाने की जरूरत होगी।
रंजना कुमारी, निदेशक, सीएसआर

मानसिकता का हिस्सा न बने तब तक उसकी ज्यादा मान्यता नहीं हो पाती। इसीलिए इतने कानूनों के बाद विभिन्न वर्गों की महिलाएं आज भी दहेज की लालच में जला दी जाती हैं, कम उम्र में ब्याह दी जाती हैं, वैश्यावृत्ति के अंधेरे में धकेल दी जाती हैं। न चाहते हुए भी भ्रूणहत्या करने पर मजबूर की जाती हैं। न केवल गलियों में बल्कि घरों में, दफ्तरों या कामकाज की जगह में, पुलिस हिरासतों में, शांति के समय या युद्ध और दंगों के दौरान महिलाएं यौन शोषण या बलात्कार का शिकार होती हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय की एक रिपोर्ट के अनुसार ही 26 मिनिट में एक महिला के साथ छेड़खानी होती है, हर 54 मिनिट में एक बलात्कार होता है और हर 102 मिनिट में एक महिला जिं दा जलाई जाती है। ये तो बस सरकारी आंकड़े हैं, वास्तविकता तो इससे भी क्रूर और भयावह है। जरूरत महिलाओं को हर तरह से सामाजिक ताकत और सुरक्षा देने की है, जिसमें सबसे कारगर उपाय शिक्षा ही हो सकता है।

महिलाओं की मौजूदा स्थिति और उनसे उत्पन्न शर्मनाक घटनाओं के पीछे पुरुषवादी व्यवस्था की मानसिकता साफ है जो औरत को एक वस्तु समझती है, व्यक्ति नहीं। एक ऐसी वस्तु जिसका इस्तेमाल कभी भी किसी भी तरह से किया जा सकता है और यदि वह अपने व्यक्ति होने की दुहाई दे, विरोध करे तो उसकी आवाज़ को दबाने के लिए उस पर तेजाब फेंका जा सकता है, उसके हाथ काटे जा सकते हैं, बलात्कार किया जा सकता है आदि। हमारे सभ्य समाज के दोगलेपन का इससे बड़ा क्या प्रमाण होगा कि संतान चुनने की मौलिक आजादी के नाम पर सिर्फ गर्भस्थ कन्या भ्रूण

की हत्या की जाती है और दहेज के लिए पत्नी को तड़पा–तड़पा कर मारने वाला पुरुष फिर ठाठ से ब्याह रचाता है। उसका कोई बहिष्कार नहीं करता। बहिष्कार हमेशा होता है महिलाओं का –दोष और अपराध बोध दोनों महिलाओं के जिम्मे।

ऐसे सवाल बार–बार मन में उठते हैं कि कब देंगे हम औरतों को एक ऐसा समाज जहां वे सर उठाकर जी सकें, जहां सोचने, कहने और करने की आजादी हो, जहां हर वक्त अपनी अस्मिता लुटने का डर न हो, जहां वे आत्मनिर्भर बन सकें, जहां पुरुषों के साथ कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर और आवाज से आवाज मिलाकर चल सकें। ये महिलाओं के जीवन–मरण से जुड़े जरूरी सवाल हैं। ये सवाल हम सभी को खुद से पूछने हैं और इन सबके जवाब भी हमें खुद ही ढूंढने है, क्योंकि ये जिम्मेदारी न सिर्फ सरकार की है, न पुलिस की, न सिर्फ बुद्धिजीवियों की या मीडियाकर्मियों की – यह पूरे समाज की जिम्मेदारी है, हमारी जिम्मेदारी है। परोपकार की तरह बदलाव भी घर से शुरू होता है और इस सकारात्मक परिवर्तन की प्रक्रिया हमें अपने आप से शुरू करनी होगी। जरूरी है कि महिलाएं अपनी सक्षमता पर विश्वास रखें, अपने हक की लड़ाई लड़ें, अपनी आवाज को बुलंद करें पर उससे भी ज्यादा जरूरी है समाज में संवेदनशीलता और जागरूकता की, इस बात को समझने की कि महिलाओं की समस्या सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित नहीं है, इसका दायित्त्व पूरे समाज पर है। आज सबसे बड़ी चुनौती है एक ऐसे समाज की संरचना की जहां पुरुष और स्त्री दोनों अपने अधिकारों के लिए तो जागरूक हों ही, साथ में दूसरे के अधिकारों के प्रति संवेदनशील भी रहें। तभी शायद आदम और हव्वा की कहानी के बदले कवि असद जैदी की तरह पुरुष भी औरतों के संदर्भ में यह महसूस कर पाएंगे कि – 'मैं तुम्हारे शरीर का खोया हुआ हिस्सा हूं। जो अपनी भूमिका भूल सा गया है।'

आज समाज से साभार

असंगठित वर्ग के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून

18 दिसंबर 2008 को हुई 'सेवा' के प्रतिनिधि मंडल की बैठक में राज्यसभा और लोकसभा द्वारा पारित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून का जोरदार स्वागत किया गया। दुनिया में पहली बार असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था करने वाला कानून अस्तित्त्व में आया है। पूरे भारत में लगभग 40 करोड़ श्रमिक कामगार स्त्री–पुरुषों को इस कानून के अंतर्गत सामाजिक सुरक्षा प्राप्त होगी।

पिछले बीस सालों से 'सेवा' सरकार से असंगठित क्षेत्र के कामगारों के लिए उचित कानून की माँग करती आ रही थी। श्रमशक्ति आयोग 1988 और द्वितीय श्रम आयोग 2001 में सामाजिक सुरक्षा के लिए जोरदार सिफारिश की गई थी। इस कानून के क्रियान्वित होने पर हर राज्य में हर श्रमिक को पहचान–पत्र मिलेगा, विपदा के समय आश्रय मिलेगा, बीमारी में अस्पताल, दवाइयों की सहायता, प्रसूति सहायता, वृद्धावस्था में आश्रय– इन तमाम तरह की सुरक्षाओं का लाभ पाने की पात्रता इन्हें मिलेगी। इस कानून का पालन ठीक ढंग से हो, यह सुनिश्चित करना होगा।

इसीलिए 'सेवा' की सरकार से माँग है :
कानून का क्रियान्वयन विकेंद्रित ढंग से किया जाए। देश की ऐसी संस्थायें जो असंगठित कामगारों के साथ सीधे काम कर रही हों, क्रियान्वयन की प्रक्रिया से जोड़ा जाए। देश के कोने–कोने में फैले करोड़ों श्रमिकों तक पहुँचने के लिए हमारा मानना है कि सरकारी तरीके से, यानि अधिकारियों के माध्यम से पहुँचना संभव

नहीं हो पाएगा। स्थानीय संस्थाएँ – पंचायत, पोस्ट ऑफिस, वेलफेयर बोर्ड, ट्रेड यूनियन, स्वयंसेवी संस्थायें, एनजीओ, लघुवित्त संस्थायें, सहकारी संस्थायें, स्वयं सहायता समूह के संघ और जो सरकार में दर्ज हुए हों, जिनकी कार्यकुशलता का रिकॉर्ड हो उन्हें प्रस्तुत कानून के क्रियान्वयन का काम सक्रिय रूप से सौंपा जाए। कामगार सुविधा केंद्रों के नाम दर्ज किए जाएँ। परिचय पत्र के वितरण, कल्याण के लाभ पहुँचाने, प्रस्तुत कानून के अमल के संचालन की अधिकतर जिम्मेदारी कामगार सुविधा केंद्रों को सौंपी जाए। प्रस्तुत कानून में इस पद्धति को अपनाने की गुंजाइश तो है।

सरकार प्रस्तुत सुरक्षा कानून के क्रियान्वयन के लिए पर्याप्त मात्रा में वित्तीय सहायता उपलब्ध करे ताकि श्रमिकों को सही मायने में लाभ मिल पाए।

इस कानून को सिर्फ बीपीएल श्रमिकों तक ही या अमुक श्रेणी के कामगारों तक ही सीमित रूप में लागू न करके भारत के असंगठित वर्ग के तमाम श्रमिकों को शामिल किया जाए और इस संबंध में आश्वस्त किया जाए।

असंगठित क्षेत्र की श्रमिक स्त्रियों के बीच सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के 'सेवा' के लंबे समय के अनुभव और 'सेवा' की व्यापक सदस्य संख्या को देखते हुए नवनिर्मित कानून के क्रियान्वयन में सहयोग देने के लिए 'सेवा' कृतसंकल्प है।

अनसूया से साभार

दवाइयों की नहीं दाइयों की दरकार

हेमांगिनी गुप्ता

अस्पताल में प्रसव के भयावह अनुभवों के कारण अब महिलाएँ भी प्राकृतिक प्रसव का समय सिद्ध विकल्प अपना रही हैं।

हाल ही में मुंबई के एक नर्सिंग होम में अगरबत्तियों की सुगंध और तनाव को दूर भगाने वाले संगीत के बीच विनीता ने अपने दूसरे शिशु को जन्म दिया। प्रसव की ये प्रक्रिया अस्पतालों में होने वाले दूसरे प्रसवों से बिल्कुल अलग थी। उनके पति और दाई कैरोलीन इस दौरान उनके पास ही थे और ये पूरी तरह से प्राकृतिक प्रसव था।

इसके ठीक उलट अपने पहले प्रसव के भयावह अनुभव के बारे में सोचकर विनीता अब भी सिहर उठती हैं। वे कहती हैं "मेरे भीतर कई तरह की दवाइयाँ डाली गई थीं, प्रसव को तेज करने के लिए मुझे पिटोसिन के इंजेक्शन दिए गए थे। नर्सों ने मेरे पाँवों को कस कर पकड़ रखा था और वे मुझ पर चिल्ला रही थीं। फिर उन्होंने मुझे एक चीरा लगा दिया। जब मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच रही थी तो मैंने फैसला किया कि ये अलग तरीके से होना चाहिए।"

फिर एक सेमिनार के दौरान विनीता प्राकृतिक प्रसव के फायदों और इसके तरीकों के बारे में जागरूकता फैला रहे संगठन बर्थ इंडिया के सदस्यों से मिलीं। इस संगठन के सह–संस्थापक रूथ मलिक कहते हैं, ये महिलाओं से जुड़ा एक गंभीर मुद्दा है। "महिला की सहमति लिए बिना उसके शरीर में कुछ डालना और प्रसव के दौरान उसके साथ कठोर व्यवहार करना महिलाओं के अधिकार का उल्लंघन है। ये देखकर मुझे झटका लगता है कि महिलाएँ बिना कोई सवाल किए इसे बर्दाश्त कर रही हैं।"

अमेरिका में पैदा होने वाले हर तीन बच्चों में से एक सिजेरियन सेक्शन(सी–सेक्शन) यानि आम भाषा में कहें तो ऑपरेशन के जरिए पैदा होता है। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किसी भी भौगोलिक भू–भाग में प्रसव के सिर्फ 10–15 प्रतिशत मामलों में ही सी–सेक्शन की जरूरत होती है और बाकी मामलों में इसे किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराया जा सकता। मलिक कहते हैं, "हमारे देश में किसी निजी अस्पताल में ये आँकड़ा 75 प्रतिशत तक हो सकता है। यहाँ डॉक्टर्स को मेडिकल बर्थ यानि

प्रसव की प्रक्रिया को जबर्दस्ती शुरू करने और फिर सी–सेक्शन द्वारा उसे जल्दी निपटाने का प्रशिक्षण दिया जाता है। ज्यादातर डॉक्टरों ने तो प्राकृतिक प्रसव देखा ही नहीं होता।''

जानकार कहते हैं कि प्राकृतिक प्रसव निजी अस्पतालों की व्यवस्था को रास नहीं आता। इसके कारण ये हैं कि इसमें कमाई की उतनी गुंजाइश नहीं होती जितनी सी–सेक्शन में। उल्लेखनीय है कि एक ठीक–ठाक से नर्सिंग होम में जहाँ सामान्य प्रसव के लिए 10–15 हजार रुपए का खर्च आता है वहीं एक सी–सेक्शन के लिए ये रकम 50 हजार तक पहुँच सकती है। कई बार खुद महिलाएँ भी प्रसूति पीड़ा से बचने या शुभ मुहूर्त पर शिशु को जन्म देने के लिए सी–सेक्शन का विकल्प चुन लेती हैं। इनमें ज्यादातर शहरों में रहने वाली महिलाएँ होती हैं।

मगर इससे होने वाले नुकसान काफी समय से बहस का विषय रहे हैं। कई विशेषज्ञों के अनुसार सी–सेक्शन से जहाँ माँ की फिर से गर्भधारण करने की क्षमता काफी घट सकती है वहीं ऑपरेशन के दौरान शिशु को चोट लगने का भी खतरा हो सकता है। प्रतिष्ठित ब्रिटिश मेडिकल जर्नल में प्रकाशित एक शोध बताता है कि सी–सेक्शन के जरिए पैदा होने वाले शिशुओं के फेफड़ों के विकास पर बुरा असर पड़ सकता है और आगे चलकर वो अस्थमा के शिकार हो सकते हैं। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन में कहा गया है कि सी–सेक्शन के दौरान किसी महिला की मृत्यु की आशंका प्राकृतिक प्रसव की तुलना में चार गुना ज्यादा होती है।
नई दिल्ली के सीताराम भरतिया इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड रिसर्च द्वारा कराये गए एक अध्ययन में पाया गया कि गर्भवती महिलाओं के साथ अल्ट्रासाउंड जाँच और दूसरी कई तकनीकों का कई बार बिना जरूरत ही इस्तेमाल हो रहा है। इनमें एपिसियोटॉमी नाम की तकनीक भी शामिल है। जिसमें चीरा लगाया जाता है ताकि शिशु आसानी से बाहर आ सके। ये महिलाओं के लिए काफी बुरा अनुभव होता है।

शिल्पा परालकर ऐसे अनुभवों के बारे में सुन चुकी थीं। वे कहती हैं, ''ज्यादातर महिलाओं का तजुर्बा अच्छा नहीं था। इनमें से अधिकांश महिलाएँ ऐसी थीं जो सी–सेक्शन करवाने की इच्छुक नहीं थीं। ये वो महिलाएँ थीं जिन्हें नॉर्मल डिलीवरी के नाम पर एपिसियोटॉमी से गुजरना पड़ा था।''

शिल्पा ने जब गर्भधारण किया तब उनकी उम्र 37 वर्ष थी। इंटरनेट खंगालते हुए उन्हें गोवा के असागाव स्थित भारत के एकमात्र घरेलू प्रसव केंद्र के बारे में पता चला। गोवा का ये प्रसूति केंद्र एक जर्मन दंपत्ति कॉरिना और पीटर स्टालोफेन चलाते हैं। शिल्पा ने उन महिलाओं के सुखद अनुभव भी पढ़े जिनका प्रसव यहाँ हुआ था। उन्होंने फैसला किया कि वो भी अपने शिशु को यहीं जन्म देंगी। शिल्पा और उनके पति हरिदास ने कुछ दिन की छुट्टियाँ लीं और गोवा जा पहुँचे।

हालांकि भारत में 60 प्रतिशत महिलाएँ अब भी प्राकृतिक प्रसव के जरिए शिशु को जन्म देती हैं। मगर ये ग्रामीण इलाकों या छोटे शहरों तक ही सीमित हैं। लखनऊ की क्लीनिकल साइकॉलॉजिस्ट प्राची उमेश अपने बच्चे को प्राकृतिक प्रसव के जरिए जन्म देना चाहती थीं। मगर बहुत ढूँढने पर भी उन्हें अपने शहर में कोई ऐसा डॉक्टर नहीं मिला जो प्राकृतिक प्रसव के दौरान उनकी मदद कर सके। आखिरकार बर्थ इंडिया ऑनलाइन ने उनकी मदद की।
उधर मुंबई में एक दाई को ढूँढने की कवायद रीता थियोबाल्ड को ठाणे ब्रिज के नीचे बसी एक झुग्गी में ले गई जहाँ उन्हें मिली 75 वर्षीय सीताबाई। रीता बताती हैं, ''हमने उन्हें एक गोदाम में पाया जहाँ वे आलू और प्याज छाँट रही थीं। उनकी काबिलियत का इस्तेमाल इस तरह हो रहा था।'' दस घंटे की प्रसव पीड़ा के बाद रीता के घरवाले उन्हें अस्पताल ले जाने की जिद कर रहे थे और सीताबाई कह रही थीं कि चिंता की कोई बात नहीं है। आखिरकार शिशु ने सामान्य और सुरक्षित तरीके से जन्म लिया।

मगर प्राकृतिक प्रसव के फायदे पहचान कर इस दिशा में गंभीर प्रयास होने लगे हैं। आज भारत में विदेशों से भी कई प्रशिक्षित दाइयाँ आ रही हैं, जो स्वतंत्र रूप से या अस्पतालों के साथ मिलकर काम कर रही हैं। सुरक्षित प्रसव के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए पिछले छह महीनों में बर्थ इंडिया(मुंबई, नई दिल्ली, शिमला, कोलकाता और चेन्नई) जैसे कुछ संगठनों ने भी काम करना शुरू किया है। बैंगलोर बर्थ नेटवर्क और नई दिल्ली बर्थ नेटवर्क जैसी कुछ संस्थायें भी इस दिशा में काम कर रही हैं।

बैंगलोर बर्थ नेटवर्क के सह–संस्थापक पेजे ट्रेबुलसी के अनुसार डॉक्टरों को लगता है कि वे जो करेंगे सही ही करेंगे और इसीलिए वे अपने मरीजों को दूसरे विकल्पों की जानकारी देना ही नहीं चाहते। उनके मुताबिक कोई इस बात को समझता ही नहीं कि बच्चे को जन्म देना एक महत्त्वपूर्ण अनुभव है।

मगर ऐसा भी नहीं है कि प्राकृतिक प्रसव हर किसी के लिए अच्छा विकल्प ही हो। बैंगलोर में प्रसूति केंद्र चलाने वाले डॉक्टर कुमार कहते हैं, "अगर महिला को पहले से ही कुछ समस्याएँ हों तो परंपरागत दाइयों की व्यवस्था से ही काम नहीं चल सकता। इसमें खतरा हो सकता है। सबसे बेहतर यही है कि दाई और डॉक्टर मिलकर काम करें। ऐसे में खतरा बढ़ने की दशा में महिला को सही समय पर डॉक्टरी मदद मिल सकती है।"

इस मामले में भारत को कनाडा जैसे देशों से कुछ सीखने की जरूरत है। जारकारों का मानना है कि वहाँ की तरह अगर यहाँ भी दाइयों को मुख्यधारा की स्वास्थ्य व्यवस्था में शामिल कर लिया जाए तो ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के लिए अस्पताल में प्रसूति एक अच्छा अनुभव हो सकता है।

तहलका से साभार

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी गरीबों के जीवकोपार्जन पर अध्ययन

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट सर दोराब जी टाटा ट्रस्ट, मुंबई के आर्थिक सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी और ग्रामीण परिवारों के जीविकोपार्जन के मुद्दों पर विकास, क्षेत्रीय योजना और प्रवासन की दृष्टि से एक अध्ययन कर रहा है। यह अध्ययन परंपरागत कामों के अलावा अन्य क्षेत्रों में जीविका की तलाश करने वाले शहरी गरीब और प्रवासी मजदूरों के रोजगार की संभावना और स्थिति पर जेंडर आधारित होगा।

शोधकर्ताओं ने संबंधित साहित्य की समीक्षा और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चुने हुए इलाकों में जाकर घरेलू कर्मचारियों और आईटी क्षेत्र में काम करने वालों की काम की स्थिति को समझने की कोशिश की है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के चार शहरों में सर्वे का काम जारी है। इस सर्वे में कुछ लोगों से विस्तृत बातचीत भी की जाएगी। अगले चरण में इस प्राथमिक जानकारी का विश्लेषण किया जाएगा। उम्मीद है कि अध्ययन के निष्कर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत इस वर्ग के लिए नीति बनाने की दिशा में मदद मिलेगी। इस क्षेत्र में काम कर रही अन्य संस्थाओं से भी आई.एस.एस.टी. संपर्क में है।

द पॉलिसी रिसर्च एनवायर्नमेंट एंड पॉलिसी रिसर्च ऑर्गनाइजेशन इन साउथ एशिया

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट उपरोक्त विषय पर एक अध्ययन कर रहा है। इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य साउथ एशिया के पॉलिसी रिसर्च संस्थानों को बेहतर ढंग से समझने का प्रयास है। इस अध्ययन में विषय से संबंधित पेपर तैयार करना विश्लेषण और प्रमुख शोधकर्ताओं के साथ कार्यशालायें आयोजित की जायेंगी। इससे पॉलिसी रिसर्च संस्थानों को समझने में मदद मिलेगी। ये कार्यशालायें दिल्ली, श्री–लंका, पुडुचेरी और काठमांडू में आयोजित की जायेंगी।

महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम का मूल्यांकन

आई.एसएसटी ने मध्यप्रदेश में होशंगाबाद जिले में सान्निध्य समिति, भोपाल द्वारा महिलाओं के प्रशिक्षण और रोजगार के सहयोग के लिए चलाए जा रहे हस्तकला कार्यक्रम का मूल्यांकन अध्ययन किया है। यह मूल्यांकन भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग मंत्रालय के लिए किया गया है। इस अध्ययन में महिलाओं को इस प्रशिक्षण से कितना लाभ हुआ है तथा कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निर्धारित दिशा निर्देशों का ध्यान रखा गया है या नहीं इस बात का आकलन किया गया है। लाभार्थियों के साथ बातचीत, समूह चर्चा और सर्वेक्षण के माध्यम से जानकारी जुटायी गयी है।

जीडीपी में महिलाओं का योगदान

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन क्षेत्रीय कार्यालय, दिल्ली के लिए उपरोक्त विषय पर एक पर्चा तैयार कर रहा है। यह पर्चा 'महिलाओं के काम' विषय पर जुलाई में होने वाले एक बड़े सेमिनार का हिस्सा है। इस सम्मेलन का आयोजन इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा संयुक्त रूप से किया जायेगा।

बस्ती विकास कार्यक्रम

सन् 2000 से पूर्वी दिल्ली की कुछ बस्तियों में कार्यरत आईएसएसटी के कामों का काफी विस्तार हुआ है और अपने इन कामों से एक पहचान भी बनी है। बस्ती के युवक–युवतियों को शिक्षा, जानकारी और बातचीत के जरिये जागरूक करने का काम लगातार जारी है। इसी तरह बच्चों के लिए भी विभिन्न तरह के कार्यक्रमों जैसे : समूह चर्चा, गोष्ठी, नाटक, फिल्म क्लब, अनौपचारिक शिक्षा और कम्प्यूटर प्रशिक्षण के जरिये संपर्क बनाया है।

समूह चर्चा

पिछले तीन माह में अच्छा व्यवहार, लोकतंत्र, सूचना का अधिकार और स्वराज विषय पर समूह चर्चायें हुई। इन चर्चाओं में बस्ती के युवक–युवतियों और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। अच्छे व्यवहार का अर्थ बताते हुए बच्चों ने चर्चा की शुरुआत की और अपने विचार रखे। विनम्रता, स्नेह, सहनशीलता तो अच्छे व्यवहार के गुण हैं ही। इसके साथ ही दूसरों की गलती को उदारता के साथ स्वीकार करना अच्छे व्यवहार का सबसे बड़ा गुण है। अगली चर्चा का विषय था – 'लोकतंत्र, सूचना का अधिकार और स्वराज'। बच्चों ने लोकतंत्र पर अपने विचारों का आदान–प्रदान किया। सूचना के अधिकार' पर चर्चा करते हुए इस कानून का उपयोग करते समय आने वाली परेशानियां, इस कानून का उपयोग कहां और कैसे करना चाहिए आदि बातों की जानकारी सामने आई। स्वराज की चर्चा प्रमुख रूप से उसके अर्थ, समझ और महत्त्व पर केंद्रित थी। कहते हैं गरीबी में ईमानदार रहना बहुत कठिन है। लेकिन कितनी ही मुसीबतों का सामना क्यों न करना पड़े कभी ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए। इसके साथ चर्चा की समाप्त हुई।

जीवन जीने की कलाः कार्यशाला

ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस(एम्स)के दो प्रशिक्षार्थियों ने जीवन जीने की कला पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। जीवन में आने वाले विभिन्न मौकों पर निर्णय लेना, मतभेदों को सुलझाना, विचारों का आदान–प्रदान, आपसी संबंध, आत्मानुशासन आदि पर इस कार्यशाला में चर्चा हुई। इन विषयों को रोचक बनाने और समझ बढ़ाने के लिए रोल प्ले तरीका इस्तेमाल किया गया। कार्यशाला का समापन क्विज़ से हुआ।

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो़ नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org

वेबसाइट:www.isst-india.org फोन : 91–11–247682222

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

यह अंक

वर्ष 16, अंक 2

अप्रैल से जून 2009

पंद्रहवीं लोकसभा और महिलायें

संसद में महिलाओं के 33 प्रतिशत आरक्षण की बात को एक अरसा हो गया। आज तक उस पर राजनैतिक पार्टियों की सहमति नहीं बन पायी है। आरक्षण की बात तो बहुत दूर की है, महिलाओं को टिकिट देने में भी राजनैतिक पार्टियां बहुत आनाकानी करती हैं। फिर भी पंद्रहवें लोकसभा चुनाव में महिलाओं ने अपने बलबूते पर लगभग दस प्रतिशत सीटें जीती हैं। लोकसभा में पहुंची ये दस प्रतिशत महिलायें ही इस संख्या को 33 प्रतिशत तक पहुंचाने में कामयाब हो सकेंगी, ऐसी उम्मीद है।

प्रशांत जैन

महिलाओं की इस उपलब्धि के बारे में बता रहे हैं – प्रशांत जैन।

हम सूचना बांटना नहीं चाहते

बाल मुकुंद

सूचना का अधिकार कानून 2005 के लागू होने पर जितनी आशा थी, उस कानून का उपयोग करने पर उतनी ही निराशा हाथ लगी है। यदि केवल कानून बनने से ही कोई चीज आसान हो सकती है, तो हमारे देश में कानूनों की कोई कमी नहीं है।

दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों में दैनिक जीवन से जुड़ी छोटी–मोटी चीजों के लिए लोगों को इतने धक्के खाने पड़ते हैं, तो गांव की तो बात ही छोड़िए। जरूरी है कानून बनाने के साथ सूचना देने की संस्कृति विकसित करने की। इसे बता रहे हैं– बाल मुकुंद।

आईएसएसटी गतिविधियां

इसके साथ ही प्रस्तुत है आईएसएसटी में चल रहे कामों की एक झलक।

केवल निजी वितरण के लिए

पंद्रहवी लोकसभा और महिलायें

प्रशांत जैन

पंद्रहवीं लोक सभा में हाफ सेंचुरी लगाकर महिला सांसदों ने जबर्दस्त उपलब्धि हासिल की है। आजादी के बाद यह पहला ऐसा आम चुनाव है, जिसमें महिलाएं इतनी मजबूत होकर उभरी हैं। प्रस्तुत है उनकी उपलब्धियों पर एक रिपोर्ट।

आखिरकार महिलाओं ने वह करिश्मा कर ही दिखाया, जिसका उन्हें पिछले 14 लोक सभा चुनावों से इंतजार था। इस बार महिला सांसदों ने लोकसभा में सीटों की हाफ सेंचुरी लगाई है। महिलाओं ने इस बार 51 लोकसभा सीटें जीती हैं। वैसे तो, यह संख्या अभी भी लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 543 का 10 प्रतिशत नहीं है, इसके बाद भी लोकसभा में 50 सीटों पर कब्जे का अपना महत्त्व है।

पूरा होगा सपना ?

लोकसभा में महिलाओं की संख्या बढ़ गई है और यूपीए सरकार बहुमत के लिहाज से मजबूत स्थिति में है। ऐसे में मनमोहन सिंह सरकार पर काफी दबाव रहेगा कि 2004 से अपने इलेक्शन मेनिफेस्टो में शामिल वुमन रिजर्वेशन बिल को पारित करने का वादा पूरा करें। संसद में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण की बात एक जमाने से हो रही है, लेकिन तमाम वादों के बाद अभी तक उसे अंजाम नहीं दिया गया है। वास्तविकता यह है कि अभी तक इस मुद्दे पर राजनैतिक पार्टियों में सहमति नहीं बन पाई है। वैसे, संसद में रिजर्वेशन देने की बात तो बहुत दूर है, अभी तो पार्टियां महिलाओं को टिकट देने में ही काफी कंजूसी बरत रही हैं। अगर आंकड़ों पर नजर डालें, तो इस बार कुल 4668 पुरुष प्रत्याशियों के मुकाबले सिर्फ 442 महिलाओं को टिकट मिला। बात अगर सात राष्ट्रीय पार्टियों की करें तो यह आंकड़ा सिर्फ 117 महिलाओं का है। खैर, संसद में हाफ सेंचुरी लगाने वाली महिला सांसदों से इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर लोकसभा में आधी दुनिया की संख्या को 10 से 33 प्रतिशत तक ले जाने के लिए आवाज बुलंद करेंगी।

किंग भी किंगमेकर भी

चुनाव से पहले किंग और किंगमेकर के लिए तमाम पुरुषों के साथ सोनिया गांधी, मायावती, जयललिता और ममता बनर्जी का भी नाम लिया जा रहा था। हालांकि जयललिता और मायावती उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाईं, लेकिन कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ममता बनर्जी तो किंगमेकर बन ही गईं। बेहद खराब हालत में पहुंच चुकी कांग्रेस अगर इस बार अपने बूते 200 से ज्यादा सीटें पाने में कामयाब हुई है, तो इसका श्रेय सोनिया को ही जाता है। दूसरी ओर वामपंथियों का गढ़ माने जाने वाले पश्चिमी बंगाल में ममता की सफलता प्रशंसनीय है। अपने दम पर नंदीग्राम से लेकर सिंगूर तक की लड़ाई लड़ने वाली ममता ने वामपंथियों को करारी चोट पहुंचाई है।

बनाई है पहचान

सच तो यह है कि भारतीय महिलाएं राजनीति में बेहद सफल रही हैं। अगर वर्तमान की बात करें, तो जिन महिलाओं को राजनीति में आने का मौका मिला, उन्होंने यहां काफी तेजी से तरक्की की है। फिर चाहे बीजेपी की सीनियर नेता सुषमा स्वराज हों या फिर लगातार सात बार एक सीट से चुनाव जीतने वाली महिला सांसद का रिकॉर्ड बनाने वाली सुमित्रा महाजन। सभी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मीरा कुमार, मेनका गांधी और कुमारी शैलजा की गिनती भी जुझारू महिला सांसदों के तौर पर की जाती है। जयाप्रदा ने तो आजम खान की तमाम कोशिशों को बेअसर करके रामपुर की सीट जीत कर खुद को साबित किया है।

बेटियों ने संभाली विरासत

अगर जवाहर लाल नेहरू को छोड़ दिया जाए, तो आमतौर पर राजनेता अपने बेटों को ही अपनी विरासत सौंपते रहे हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से बेटियां भी अपने पिता की विरासत संभालने लगी हैं। सुनील दत्त की बेटी प्रिया दत्त, एनसीपी नेता पी.ए. संगमा की बेटी सांसद अगाथा संगमा, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले, करुणानिधि की बेटी कनी मोझी का नाम इस

मामले में विशेष रूप से लिया जा सकता है। अगर बात प्रियंका गांधी की न की जाए, तो यह जिक्र कुछ अधूरा रहेगा। प्रियंका भले ही सक्रिय राजनीति नहीं कर रही हैं, लेकिन जिस कुशलता से उन्होंने अपनी मां और भाई की लोकसभा सीटों पर प्रचार का जिम्मा संभाला, उसे देखते कहा जा सकता है कि प्रियंका भी अपने पिता की विरासत संभालने के लिए पूरी तरह तैयार हैं।

अभी तक लोकसभा में प्रदर्शन

वर्ष	महिला प्रत्याशी	विजेता
2009	442	51
2004	355	45
1999	284	49
1998	274	43
1996	599	40

महिलाओं को दिए टिकिट

राष्ट्रीय पार्टियां	**पुरुष**	**महिला**
बीजेपी	395	32
बीएसपी	355	29
सीपीआई	18	1
सीपीएम	23	2
कांग्रेस	422	51
आरजेडी	26	0
एनसीपी	18	2
कुल	4668	442

जेंडर पॉलिसी फोरम

आईएसएसटी और आईएचसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जेंडर पॉलिसी फोरम के 15 वें सत्र का आयोजन 15 मई 2009 को हुआ। यह आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर के कैजुरीना सभागार में हुआ। विषय था : 'स्टेट, मार्किट, फैमिली : द केयर रिजिम इन इंडिया।'
दिल्ली स्कूल ऑफ इकानॉमिक्स की समाजशास्त्र विभाग की प्रोफेसर रजनी पालरीवाला प्रमुख वक्ता थीं। डॉक्टर एलिजाबेथ हिल, सिडनी युनिवर्सिटी और सुदेशना सेनगुप्ता, मोबाइल क्रेश ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

सबसे ज्यादा महिला प्रत्याशी

लोकसभा सीट	प्रत्याशी
गौतम बुद्ध नगर (यूपी)	6
बुलंद शहर (यूपी)	6
महबूब नगर (एपी)	5
कोरबा(छत्तीसगढ़)	5
फरीदकोट(पंजाब)	5

पार्टीवार महिला सांसद

पार्टी	सांसद
कांग्रेस	19
बीजेपी	11
तृणमूल कांग्रेस	5
बीएसपी	4
एसपी	3
जद(यू)	2
अकाली दल	2
एनसीपी	2
सीपीएम	1
आरएलडी	1
शिवसेना	1

राज्यवार प्रदर्शन

राज्य	सीट	सांसद	राज्य	सीट	सांसद
उत्तर प्रदेश	80	11	छत्तीसगढ़	11	2
पश्चिम बंगाल	42	8	हरियाणा	10	2
मध्य प्रदेश	29	5	कर्नाटक	28	1
बिहार	40	4	असम	14	1
आंध्र प्रदेश	42	3	दिल्ली	7	1
गुजरात	26	3	मेघालय	2	1
राजस्थान	25	3	महाराष्ट्र	48	11
पंजाब	13	3			

(सभी आंकड़े इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से)

हम सूचना बांटना नहीं चाहते

बाल मुकुंद

जार्ज ऑरवेल की एक मशहूर किताब है 'द एनिमल फॉर्म।' इस किताब में पशुओं के एक बाड़े की कहानी है, जिसमें बाड़े के पशु अपने मालिक से विद्रोह कर बाड़े का प्रशासन अपने हाथों में ले लेते हैं। सबसे पहले सभी पशु मिलकर एक आम सभा करते हैं और उसमें बाड़े के प्रशासन के नियम–कानून तय करते हैं। पर धीरे–धीरे उस प्रशासन में सुअरों का एक गुट हावी होने लगता है, क्योंकि वे दूसरे पशुओं की तुलना में ज्यादा चालाक हैं।

आम सभा में यह तय किया गया था कि रोज सुबह बाड़े की सभी गायों से दूध इकट्ठा कर उसे मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा, जिसे बाद में सुअर सभी जानवरों में बराबर–बराबर बांट देंगे।' यह फैसला एक सूचना बोर्ड पर लिखकर टांग दिया जाता है, लेकिन सुअर एक रात चुपके से उसमें थोड़ा–सा फेरबदल कर देते हैं, जिससे उसका मतलब ही बदल जाता है। सूचना बोर्ड पर लिखी इबारतों में वे इस तरह से बदलाव करते हैं, 'रोज सुबह सभी गायों से दूध इकट्ठा कर मुख्य कार्यालय में रखा जाएगा, जिसे पीने के बाद सुअर बचा हुआ दूध सभी जानवरों में बराबर–बराबर बांट देंगे।' बाड़े के बाकी पशुओं को फैसले के मुताबिक कुछ दिनों तक नियमित रूप से दूध मिलता है, लेकिन धीरे–धीरे

वह कम होता–होता बंद हो जाता है। सारा दूध बाड़े का प्रशासन चलाने वाले सुअर खुद पी जाते हैं। जब कोई जानवर एतराज करता है, तो वे बोर्ड पर लिखा फैसला दिखा देते हैं, क्योंकि तब तक किसी को याद नहीं रहता कि वास्तव में आम सभा में क्या फैसला लिया गया और कब लिया गया था।

सूचना का अधिकार कानून 2005 के प्रभाव में आने से आम लोग बेहद उत्साहित हुए थे। यह कानून हर नागरिक को यह अधिकार देता है कि वह किसी भी सरकारी कार्यालय से वहां से संबंधित जानकारी मांग सकता है। केंद्र, राज्य और स्थानीय निकायों के दफ्तरों की यह कानूनी जिम्मेदारी है कि वे नागरिकों द्वारा मांगी जाने वाली जानकारी मुहैया करायें। यदि कोई नागरिक फाइलें देखना चाहता है तो उसे फाइलें दिखाई जायें और अगर कोई उनकी फोटोकॉपी चाहता है, तो उसे वे भी उपलब्ध कराई जाएं। ऐसा माना गया है कि इससे सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आएगी और नागरिकों का सशक्तीकरण होगा। वे गड़बड़ियों पर निगाह रख पाएंगे और अपने अधिकारों के लिए लड़ सकेंगे।

लेकिन प्रशासन पर हावी लोगों का गुट यह नहीं चाहता कि सामान्य जानकारियां भी आम लोगों तक पहुंचें, इसीलिए वह आरटीआई कानून के बावजूद इसे लोगों को मुहैया कराने में तरह–तरह की आनाकानी करता है। इसका ताजा उदाहरण शन्नो की मृत्यु के कारणों के बारे में नागरिकों द्वारा दो अस्पतालों से मांगी गई जानकारी है। यह जानकारी देने में दोनों अस्पतालों ने यथासंभव लीपापोती करने में अपनी पूरी योग्यता और नीयत का परिचय दिया है। ऐसा माना जा रहा है कि शन्नो की मौत उसके स्कूल में एक शिक्षिका द्वारा दिए गए शारीरिक दंड की वजह से हुई थी।

असल में जनता को जानकारी मिलने से वह अधिकारियों–कर्मचारियों के अराजक व्यवहार और विवेक पर सवाल उठाती है। इससे सरकारी बाबुओं की स्वच्छंदता बाधित होती है। अधिकारी और कर्मचारी सूचनाओं का इस्तेमाल आम जनता पर अपनी श्रेष्ठता स्थापित करने के लिए करते हैं। जानकारी को अपने आप तक सीमित रखकर वे जनता को दबा सकते हैं और 'एनिमल फॉर्म' के कर्ताधर्ताओं की तरह उसमें तोड़–मरोड़ कर सकते हैं। इसीलिए वे इस कानून की पकड़ में आने से बचने के लिए रोज नए बहाने ढूंढते हैं। इस कानून को जितनी तेजी से आम लोगों के दैनिक कारोबार का हिस्सा बनना चाहिए था, उतनी तेजी से नहीं बन पा रहा है। कुछ मुट्ठी भर जागरूक और जुझारू किस्म के लोग और स्वयंसेवी संस्थायें ही इसे कारगर तरीके से इस्तेमाल कर पा रही हैं।

आप किसी भी आम नागरिक की रोजाना की जिंदगी पर नजर डालें। जब हम किसी खराब, गड्ढों वाली सड़क से गुजरते हैं, तो हमें गड़बड़ी का पता होता है या नहीं ? लेकिन क्या किसी भी सड़क पर कहीं ऐसा कोई बोर्ड लगा देखा है, जिसमें विस्तार से लिखा हो कि वह सड़क किस साल किस ठेकेदार ने बनवाई, उसके लिए कितने पैसे लिए और उसके काम की निगरानी किस अधिकारी ने की? और अगर सड़क पर कभी कोई कमी नजर आए तो उसकी शिकायत कहां, किस अधिकारी से की जाए ? सड़क निर्माण इसका एक उदाहरण है। आमतौर पर अपने देश में किसी भी सरकारी महकमे द्वारा या उसकी देखरेख में बनाए गए किसी भी भवन, पुल या प्रतिष्ठान में इस तरह की जानकारी नहीं दी जाती।

सड़क और इमारतों की जगह उन सरकारी दफ्तरों पर नजर डालें, जिनसे आम जनता का काम पड़ता हैं। वह बिजली, पानी, लायसेंस, पंजीकरण, अलॉटमेंट, एनओसी, टिकट, रिफंड, पेंशन या कोई सर्टिफिकिट लेने जैसा काम हो सकता है, लेकिन ऐसे दफ्तरों में बहुत कम जगहों पर आपको यह लिखा मिलेगा कि वहां का कोई कर्मचारी अगर दुर्व्यवहार करे या सहयोग न करे या सीट पर उपलब्ध नहीं हो तो आप कहां और किससे शिकायत करें। सरकारी और निजी क्षेत्र के जो कार्यालय सूचना और शिकायत के लिए अपने टेलिफोन नंबर और ई–मेल पता जारी करते हैं, उन पर संपर्क कीजिए 80 प्रतिशत मामलों में या तो नंबर और पते गलत निकलेंगे या उसे कोई अटेंड ही नहीं करेगा या आपकी बात का सही जवाब नहीं देगा।

गांवों और छोटे कस्बों की तो बात ही छोड़ दें, दिल्ली और मुंबई जैसे महानगरों में, जहां शिक्षा और नागरिक जागरूकता का स्तर कहीं ज्यादा है, आपको तमाम लोग सही जानकारी के अभाव में इधर–उधर धक्के खाते या ठगी का शिकार होते

मिलेंगे। यह सबको पता है कि बस अड्डा, रेल्वे स्टेशन, हवाई अड्डा, अस्पताल, डीडीए और म्युनिसिपैलिटी जैसे ऑफिसों में आम जनता को सबसे ज्यादा परेशान किया जाता है। लेकिन इन जगहों पर जनता की जानकारी के लिए कितने सूचना केंद्र और नोटिस बोर्ड होते हैं ? और अगर कहीं ये नोटिस बोर्ड मिलें, तो देखिए कि वे किस हाल में हैं। 'एनिमल फार्म' के सूचना पटों की तरह इन पर लिखी इबारतें खुरचकर मिटाने से लेकर उन पर पोस्टर चिपकाने और पान की पीक मारने तक सारा काम होता है। दफ्तर का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी उस बोर्ड के रख–रखाव के लिए जिम्मेदार नहीं होता। आपको शायद ही किसी पार्किंग प्लेस पर लिखा मिले कि वहां का ठेकेदार कौन है, उसका क्षेत्र कहां से कहां तक है और उसके अटेंडेंट या खुद ठेकेदार से कोई शिकायत होने पर आप कहां संपर्क कर सकते हैं। पार्किंग बॉयज के सीने पर नेम प्लेट होना तो दूर की बात है, यहां तो पुलिस, गार्ड, रिसेप्शनिस्ट, काउंटर क्लर्क, बसों के ड्रायवर ,कंडक्टर और रेल्वे के टीटी तक नेम प्लेट लगाना जरूरी नहीं समझते और न इसके लिए उन्हें कभी दंडित होते सुना गया है।

यहां जितने भी उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से किसी के लिए भी सूचना के अधिकार के कानून की जरूरत नहीं है। ये सब सामान्य दफ्तरी व्यवस्थायें हैं, लेकिन अपने देश में इसे लागू करने या इसकी पाबंदी पर जोर देने की कोई खास कोशिश नजर नहीं आती। नागरिकों के साथ सूचनाएं बांटने का काम सिर्फ कानून से नहीं हो सकता, यह एक संस्कृति है। हमारे प्रशासन में सूचना बांटने की संस्कृति ही नहीं है। इसीलिए कानून बनाकर अधिकार देने के साथ यह भी जरूरी है कि देश में सूचना देने की संस्कृति विकसित की जाए। हर महकमा खुद सोचे कि आम नागरिक उसके बारे में क्या–क्या जानना चाहेंगे। ऐसी जानकारी देने के मामले में वह पहल करे और ऐसी सहज व्यवस्था करे कि नागरिकों को वह जानकारी बिना अफसरशाही के जंजाल में फंसे हासिल हो जाए।

नवभारत टाइम्स से साभार

सांगानेर, राजस्थान के हस्तकला उद्योग पर आर्थिक संकटः मूल्यांकन अध्ययन

भारत के आर्थिक विकास में हस्तकला उद्योग की प्रमुख भूमिका है। आर्थिक दृष्टि से कम लागत में अधिक आमदनी, निर्यात की अधिक संभावनायें और विदेशी मुद्रा विनिमय में यह क्षेत्र हमारे देश में महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है।

राजस्थान पारंपरिक कला और हस्त उद्योग का गढ़ है। राजस्थान में जयपुर से 16 कि.मी. दूर सांगानेर हस्तकला उद्योग का प्रमुख केंद्र है।

पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हैंडमेड पेपर का उत्पादन सांगानेर में होता है। हाथ से बने इस पेपर से बैग, फोटो फ्रेम, डायरी, कार्ड्स, एलबम, स्टेशनरी आदि तैयार की जाती है। आज सांगानेर में पेपर उद्योग की 10 फैक्टरी हैं। कागजी समुदाय सदियों से चली आ रही पूर्वजों की इस कला को जीवित रखे हुए हैं।

भारतीय उद्योग की यह वृद्धि और विस्तार निर्यात पर आधारित है। आर्थिक मंदी के इस दौर में हस्तकला उद्योग के निर्यात में भारी गिरावट आई है। वित्त वर्ष 2008–09 में निर्यात का बाजार घटकर 50 प्रतिशत रह गया है। एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फार हैंडीक्राफ्ट के अनुसार, 'अमेरिका और यूरोप में मांग की कमी के कारण हस्तकला उद्योग का निर्यात गिरा है।'

सांगानेर के हस्तकला उद्योग पर आर्थिक मंदी के असर को समझने के लिए एक मूल्यांकन अध्ययन करने की आवश्यकता महसूस की गई। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने आईएसएसटी को यह काम सौंपा।

इस अध्ययन में निम्नलिखित बातों को शामिल किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी आने के साथ ही धीरे–धीरे इसका असर निर्यात पर भी दिखाई देने लगा। इसे समझने के लिए मालिक और कारीगरों (जेंडर, जाति , ठेके और पीस रेट पर काम करने वाले) से बातचीत।

इस क्षेत्र में आए असर को समझने के लिए गुणात्मक और संख्यात्मक दृष्टि से काम पर असर, नियुक्ति, रोजगार संबंधों का बदलता तरीका – नियमित रोजगार की जगह पर ठेके पर काम,

स्वरोजगार या अन्य तरह का काम, मजदूरी/ काम की शर्तें, काम के घंटे, बर्खास्त/छंटनी/ अनौपचारिक तरीके से कारीगरों को काम पर लेना आदि।

आर्थिक मंदी से प्रभावित मालिकों और कारीगरों का मूल्यांकन। केंद्र और राज्य स्तर पर दोनों के लिए नीतिगत सुझाव देना और आर्थिक मंदी के कारण मालिक और कारीगरों पर पड़े गैर सामाजिक असर को कम करने की संभावनायें तलाशना। जुलाई 2009 में संभावित क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और मंत्रालय की मीटिंग में चर्चा के लिए सुझाव देना।

अध्ययन में संबंधित मंत्रालयों से प्रकाशित सेकेंड्री डेटा का उपयोग किया गया है।

अध्ययन की ड्राफ्ट रिपोर्ट आईएलओ को सौंप दी गई है।

घरेलू हिंसा को कम करने में लघु बचत योजना का प्रभाव : एक अध्ययन

ऐसे बहुत–से अध्ययन हैं, जिनसे देश भर में घरेलू हिंसा की पुष्टि होती है। महिलाओं में जागरूकता लाने और हिंसा में कमी लाने के लिए लघु बचत एक उपाय हो सकता है, ऐसा माना गया है। यदि महिलाओं की पहुंच लघु बचत योजना तक होती है और महिलायें इसका उपयोग उत्पादक गतिविधियों में करती हैं और घर की आमदनी में उनका कुछ योगदान होता है तो निश्चित ही घर में उनकी स्थिति मजबूत होगी। इससे घरेलू हिंसा में कमी आएगी या फिर वे इसका मुकाबला कर पाएंगी।

अतः 1980 के दशक में मयराडा द्वारा लघु बचत और ऋण के लिए महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाये गए और इन समूहों को बैंकों से जोड़ा गया।

स्वयं सहायता समूह बनाने के पीछे मुख्य कारण यही था कि समूह की मध्यस्थता में ऋण देने से जोखिम कम होता है। इस कर्ज को स्वरोजगार से जोड़ा गया। यह भी माना गया कि अपना काम शुरू करने के लिए कर्ज मिलने से गरीबी कम होगी। कर्ज लेकर अपना काम शुरू करने वालों में महिलायें अधिक होंगी।

इस तरह अधिकांश जगहों में महिलाओं के स्वयं सहायता समूह बनाकर लघु बचत योजना की शुरुआत की गयी। देश के दक्षिणी राज्यों, खासकर आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक स्वयं सहायता समूह हैं।

क्या लघु बचत से घरेलू हिंसा में कमी आई है और यदि घरेलू हिंसा कम हुई है तो किन परिस्थितियों में ? इसकी जांच–पड़ताल के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने आईएसएसटी को इस अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है।

वर्तमान नीति और योजना में लघु बचत और स्वयं सहायता समूह को महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है। अतः उत्तर भारत के किसी राज्य को केंद्र में रखकर यह अध्ययन करना उपयोगी माना गया।

इस तरह हरियाणा में रिवाड़ी, झज्झर और अंबाला जिले का चुनाव अध्ययन के लिए किया गया। एक अनुमान से इस राज्य में लगभग 12000 स्वयं सहायता समूह हैं। राज्य में फैले 12000 स्वयं सहायता समूह में से अध्ययन के लिए कुछ सदस्यों को चुना गया। तीनों जिलों में स्वयं सहायता समूह की 202 महिला सदस्याओं से बातचीत की गई। सर्वे के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संवेदनशील मुद्दों को सामने लाने के लिए यह प्रश्नावली पर्याप्त नहीं थी। अतः इसके लिए तीनों अध्ययन क्षेत्रों में समूह चर्चा और विस्तृत बातचीत की गई। सर्वे से जुटाये गए तथ्यों के विश्लेषण का काम जारी है।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वाले लगभग 57,110 लोगों के बीच 'सेवा महिला ट्रस्ट' काम कर रहा है। सेवा महिला ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के बदलते परिवेश में इन लोगों की जीविका को सुरक्षित रखकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है।

अहमदाबाद शहर में इन पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक–आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम का कितना असर हुआ है, इसे समझने के

लिए सेवा महिला ट्रस्ट ने आईएसएसटी को बेसलाईन और एंडलाईन सर्वे का काम सौंपा है।

बस्ती विकास कार्यक्रम

आईएसएसटी पिछले 8 वर्षों से पूर्वी दिल्ली की तीन बस्तियों में काम कर रहा है। जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि विभिन्न गतिविधियां चलायी जाती हैं।

समूह चर्चायें

पिछले तीन माह के दौरान मित्रता और ईमानदारी विषय पर समूह चर्चायें आयोजित की गईं। इस चर्चा में आस–पास की बस्तियों के किशोर वय के लड़के–लड़कियों, कम्युनिटी सेंटर के समन्वयक, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 'मित्रता और सच्चा मित्र कौन है' इसका अर्थ बताते हुए चर्चा की शुरुआत युवावर्ग ने की। सही रास्ता बताने वाला ही सच्चा मित्र हो सकता है, इसके साथ ही यह चर्चा समाप्त हुई।

अगली समूह चर्चा का विषय था – ईमानदारी। 'ईमानदारी' को परिभाषित करते हुए बच्चों ने अपने विचार रखे। ईमानदारी से काम करने में बहुत–सी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन कितनी भी विषम परिस्थितियों में ईमानदारी नहीं छोड़ना चाहिए, इस संदेश के साथ इस चर्चा का समापन हुआ।

ग्रीष्म कालीन शिविर

हर वर्ष की तरह इस साल भी गर्मी की छुट्टियों में साथी केंद्र में लगभग एक माह का ग्रीष्म कालीन शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर में नृत्य, नाटक और मेहंदी की कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में बच्चों ने बहुत रुचि और उत्साह के साथ हिस्सा लिया।

इन केंद्रों में चलने वाले नियमित कार्यक्रमों के अलावा आईएसएसटी के साथी केंद्र में जुलाई 2009 से नये कार्यक्रमों की शुरुआत हो।

नई पहल

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

कम्युनिटी कॉलेज वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था है। इसका उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग के युवक–युवतियों में इस तरह की योग्यता निर्माण करना जिससे वे स्थानीय उद्योग या कम्युनिटी में सार्थक रोजगार पा सकें। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट द्वारा इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के साथ मिलकर आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत एक नई पहल है।

इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर शुरू की जाने वाली इस योजना का शुभारंभ विज्ञान भवन, दिल्ली के सभागार में 4 जुलाई 2009 को हुआ। इस योजना के अंतर्गत देश भर से लगभग 100 कम्युनिटी कॉलेजों का चयन किया गया। इनमें से आईएसएसटी भी एक है।

साधारणतः कम्युनिटी कॉलेजों में स्थानीय जरूरतों और राज्य की जरूरतों पर आधारित विभिन्न विषयों के दो वर्ष के पाठ्यक्रम हैं। कम्युनिटी कॉलेज से निकले छात्र आगे की पढ़ाई के लिए किसी स्नातक कॉलेज में प्रवेश पा सकते हैं या फिर किसी धंधे या व्यापार में जा सकते हैं।

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91–11–47682222

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 16, अंक 3

जुलाई से सितंबर 2009

कैसे बचेंगी बेटियां
कमला यादव

मंदी में महिलाएं

आईएसएसटी गतिविधियां

और अन्य समाचार

यह अंक

एक ओर तो महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, शैक्षणिक विकास के निरंतर प्रयास हो रहे हैं। काफी हद तक इस दिशा में सफलता भी मिली है। एक लंबे संघर्ष के बाद महिलाओं ने समाज में सम्मानपूर्वक जगह बनाई है। लेकिन दूसरी तरफ बेटों की चाह में जन्म से पहले गर्भ में ही उन्हें मार दिया जाता है।

बेटों से ही वंश चलता है। वे ही मोक्ष दिलाते हैं, बेटों की चाह में ये सामाजिक कारण तो हैं ही। दहेज, घरेलू हिंसा, लड़कियों की असुरक्षा आदि के कारण भी संतान के रूप में पुत्र का महत्त्व को बढ़ जाता है। सत्तर के दशक में गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक कमियों को पता लगाने के लिए एमनियोसेटेंसिस और सोनोग्राफी जैसी तकनीक आई थी। लेकिन इसका उपयोग गर्भ निर्धारण के लिए होने लगा। सन् 1996 में एक कानून द्वारा इस जांच को दंडनीय अपराध माना गया। लेकिन इसके बाद भी स्थिति गंभीर ही होती जा रही है।

इस अंक में प्रस्तुत है – कैसे बचेंगी बेटियां – पर कमला यादव का लेख।

आर्थिक मंदी के इस दौर में पुरुषों और महिलाओं के रोजगार पर अलग–अलग असर डाला है। अमेरिका और कनाडा में तो आश्चर्यजनक रूप से स्त्री–पुरुष रोजगारों में परिवर्तन आया है। इस अंक में प्रस्तुत है नवभारत टाइम्स का संपादकीय, जिससे आर्थिक मंदी के दौर में स्त्री–पुरुष रोजगार के आंकड़ों में आए परिवर्तन की जानकारी मिलती है।

इसके साथ ही आईएसएसटी में किये जा रहे विभिन्न अध्ययन – कुछ पूरे हो चुके हैं, कुछ चल रहे हैं और कुछ नए कामों की जानकारी भी प्रस्तुत है।

कैसे बचेंगी बेटियां

कमला यादव

भारतीय महिलाओं की सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक दशा में सुधार हुआ है और उन्होंने एक लंबे संघर्ष के बाद समाज में अपने लिए जगह बनाई है। लेकिन इसे स्त्री जाति का दुर्भाग्य कहें या नियति । उसके अस्तित्त्व को खत्म करने वाली कुप्रथाएं नए रूप में उसके लिए चुनौती बनी हुई हैं। इसके लिए हमारे देश का सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक ढांचा जिम्मेदार है। सामाजिक मान्यतानुसार पुत्र ही पितरों को पिंडदान दे सकता है और वही पितरों को मोक्ष दिलवाने वाला होता है, इसीलिए लोग संतान के रूप में पुत्र की चाह रखते हैं।

जिंदा रहने के अधिकार का समाज द्वारा किया जाने वाला निकृष्टतम हनन कन्या भ्रूण हत्या है। परिजन और माता–पिता द्वारा अजन्मी बच्चियों का गर्भ में ही हत्या करना जघन्य अपराध है। बेटे और बेटी के बीच किया गया यह क्रूरतम भेदभाव है। संतान के रूप में बेटों की चाह के कारण आज देश में कन्याओं की भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति आम हो गई है। लोग गर्भ में पल रही बालिका भ्रूण की हत्या चुन–चुनकर कर रहे हैं। एक देशव्यापी अध्ययन में पाया गया कि गर्भ में ही हत्या किए जाने वाले एक हजार भ्रूण में से 995 भ्रूण लड़कियों के होते हैं। बदलते सामाजिक माहौल में बेटियों के प्रति उपेक्षा भाव परोक्ष रूप से बढ़ा है, अगले दशक में जनसंख्या स्थिर रखने का लक्ष्य, दो बच्चों का मापदंड, गर्भवती महिलाओं में लिंग निर्धारण की प्रोद्योगिकी और गर्भधारण से पूर्व लिंग चयन की आधुनिकतम प्रोद्योगिकी के आगमन से मां–बाप में कन्याओं को दूर रखने की इच्छा तीव्र हुई है।

अमीर,–गरीब, शिक्षित–अशिक्षित, ग्रामीण और शहरी सभी वर्गों में बेटों की चाह सर्वोपरि है। संपत्ति में हिस्सा, विवाह के समय दहेज की मांग, ससुराल में उत्पीड़न, पराई समझी जाने वाली लड़कियों की शिक्षा पर व्यय की धारणा लड़कियों के प्रति विद्वेष और उपेक्षा का भाव बढ़ाने वाले कारण हैं।

वास्तव में सत्तर के दशक में गर्भस्थ शिशु के आनुवांशिक विकारों आदि का पता लगाने के उद्देश्य से एमनियोसेटेंसिस और सोनोग्राफी जैसी तकनीक का आगमन हुआ। फिर बाजारवादी ताकतों ने पुत्र चाहत की भारतीय मानसिकता को पहचाना और इसके बाद लालची चिकित्सक और परिवार की सांठगांठ से अजन्मी बच्चियों को गर्भ में ही मारा जाने लगा।

कानून की उपस्थिति से स्थितियों में बदलाव नहीं आया। 1994 में पारित प्री–नेटल डायग्नोस्टिक(रेगूलेशन एंड प्रीवेंशन) टेक्नीक एक्ट 1996 से लागू हुआ जिसमें गर्भावस्था के दौरान गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी प्राप्त करना एक दंडनीय अपराध है। जैनेटिक जांच के द्वारा गर्भस्थ शिशु के लिंग की जानकारी देने वाली तकनीकों के विज्ञापन पर रोक है। इन तकनीकों का इस्तेमाल गर्भस्थ शिशु के जैनेटिक विकारों का पता लगाने के लिए ही किए जाने की इजाजत है। इस अधिनियम के अंतर्गत बिना पंजीकरण करवाए आनुवांशिक क्लीनिक चलाना, परीक्षण करना अपराध है। स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफिक मशीन और अन्य तकनीक से जन्म से पहले लिंग परीक्षण करना–करवाना, इसके लिए सहयोग देना व विज्ञापन करना कानूनी अपराध है जिसमें तीन से पांच वर्ष तक की जेल, दस से पचास हजार रुपए तक जुर्माना हो सकता है।

लेकिन यूनिसेफ के अनुमानों को देखा जाए तो हालत निरंतर भयावह होती जा रही है। संस्था के अनुसार, हर वर्ष देश में बीस लाख कन्या भ्रूण हत्याएं हो रही हैं। अकेले राजस्थान में प्रतिवर्ष लाखों गर्भपात होते हैं, जिसमें नब्बे प्रतिशत से अधिक हिस्सा बालिका भ्रूण हत्या का है। ग्रामीण विकास संस्थान और राजस्थान महिला आयोग के सहयोग से हुए सर्वेक्षण के अनुसार, राजस्थान में एक हजार पुरुषों पर आठ सौ स्त्रियां हैं। शिक्षित वर्ग में कन्या भ्रूण हत्या का प्रतिशत अधिक पाया गया है। वर्ष 2001 की जनगणना के आंकड़ों से इस बात की पुष्टि होती है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में क्रमशः प्रति हजार पुरुषों पर 886, 874 और 898 महिलाएं हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि चंडीगढ़ जैसे विकसित और शिक्षित शहर में एक हजार पुरुषों पर सिर्फ 773 स्त्रियां हैं।

समस्या कितनी गंभीर है इसकी परवाह न परिवार को है और न समाज को ही। लेकिन इसके समाधान के लिए सरकार के प्रयासों को सफल बनाने के लिए स्वयंसेवी संगठनों द्वारा सामाजिक और सामूहिक प्रयास किए जाने जरूरी है। ऐसे प्रयास रस्म अदायगी से आगे जाते हुए निरंतर और व्यापक स्तर पर होने चाहिए। कन्या भ्रूण हत्या रोकने के लिए समर्पित स्वयंसेवकों की भूमिका अपेक्षित होगी। धार्मिक संगठनों के प्रयास से भी कन्या भ्रूण हत्या की प्रवृत्ति पर रोक लगाई जा सकती है। सभी धर्मों के गुरुओं, प्रचारकों द्वारा हत्या को पाप घोषित किया जाना चाहिए। इस दिशा में जून 2001 में राजधानी में धार्मिक नेताओं के राष्ट्रीय सम्मेलन में भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रस्ताव पास किया गया था। सम्मेलन में मौजूद धार्मिक नेताओं ने शपथ ली कि वे तमाम संसाधनों का इस्तेमाल करके कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ प्रचार करेंगे। कांचीपीठ के शंकराचार्य जयेंद्र सरस्वती ने इस विषय में मिलकर प्रयास करने पर बल दिया था। अप्रैल 2001 में पंजाब में बढ़ती कन्या भ्रूण हत्या को रोकने के लिए ही अकाल तख्त ने कन्या भ्रूण हत्या को सिख धर्म विरोधी घोषित किया।

कोई भी धर्म ऐसी बुराईयों का समर्थन तो नहीं करता, किंतु हमारी धार्मिक संस्थाएं कन्या भ्रूण हत्या या अन्य सामाजिक बुराइयों को दूर करने में ज्यादा रुचि नहीं लेतीं। समाज सुधार आंदोलन भारत की स्वतंत्रता के बाद धीरे–धीरे खत्म हो गए। इस दिशा में अब अंतिम उम्मीद मां से है, उसकी चेतना का द्वार खटखटाया जाए तो वह अवश्य अपनी अजन्मी बच्ची को बचाएगी। जिस देश में मां अपने बच्चों के लिए बड़े–बड़े कष्ट सह जाती हो, वहां आधुनिकता और तकनीकी विकास की अंधी दौड़ में आखिर उसका ममत्त्व कहां लुप्त हो गया। जिस दिन गर्भवती स्त्री अपनी अजन्मी बच्ची को बचाने के लिए दृढ़ता से खड़ी हो जाएगी, उसी दिन से वह अपनी गर्भस्थ बालिका भ्रूण के जन्म के प्राकृतिक अधिकार को सुरक्षित कर देगी।

जनसत्ता से साभार

वूमेन इन फॉरमल एम्प्लॉयमेंट : ग्लोबलाइज़िंग एंड ऑर्गनाइज़िग

पिछले दिनों सेवा भारत ने आई एस एस टी को घरेलू कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों पर एक परचा लिखने का काम सौंपा था। इस परचे में घरेलू कर्मचारियों के मुख्य मुद्दों और श्रम संबंधित कानूनों को सामने लाया गया, जिससे कानूनी मांगों के लिए एक मंच तैयार किया जा सके। कुल मिलाकर वीगो प्रोजेक्ट का मुख्य लक्ष्य अनौपचारिक क्षेत्र में काम करने वाले कामगारों के हित में काम के अवसरों, श्रम अधिकार, फायदे और सुरक्षा देने के लिए कानूनी वातावरण तैयार करना है।

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा जुलाई 2009 में आयोजित गोष्ठी में यह परचा प्रस्तुत किया गया।

महिला समाख्या :प्रशिक्षण कार्यक्रम का डाक्यूमेंटेशन

20 से 22 जुलाई 2009 को कर्नाटक महिला समाख्या, बैंगलोर द्वारा राज्य स्तरीय क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का विषय था – 'लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाना'। आई.एस.एस.टी., बैंगलोर को इस कार्यक्रम का दस्तावेज करने का काम सौंपा गया। आईएसएसटी बैंगलोर ने जुलाई 2009 को इस कार्यक्रम की रिपोर्ट महिला समाख्या को सौंप दी है।

उत्तराखंड सेवा निधि महिला समूहों के अनुभव – दस्तावेज

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के सात जिलों में फैले उत्तराखंड महिला परिषद् यानि लगभग 450 महिला समूहों के नेटवर्क महिला संगठन या महिला मंगल दल के अनुभवों का दस्तावेज तैयार करना है। महिला परिषद् उत्तराखंड सेवा निधि पर्यावरण संस्थान के अंतर्गत चल रहे एक बड़े नेटवर्क का हिस्सा है, जो उत्तराखंड के विभिन्न क्षेत्रों के पहाड़ी गांवों में कम्युनिटी आधारित संगठनों के साथ मिलकर सन् 1988 से काम कर रहे हैं।

मई 2009 से अगस्त 2009 तक कुमांउ और गढ़वाल के 14 गांव में महिलाओं से हुई बातचीत और समूह चर्चा के आधार पर समूह बनाने की प्रक्रिया, प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन में उनकी कोशिशें, सरकारी सुविधाओं तक पहुंच, झगड़ों का निपटारा, राजनैतिक भागीदारी, सामाजिक और स्त्री–पुरुष संबंधों में बदलाव आदि के बारे में जानकारी एकत्र की गई।

संगठन बनाने की प्रक्रिया की नीति और चुनौतियां तथा पिछले वर्षों में हुए समूहों का विकास और विभिन्न गांवों में समूहों के संचालन की अनोखी प्रक्रिया की जानकारी भी जुटाने का प्रयास किया जाएगा। इस अध्ययन की अवधि अप्रैल से दिसंबर 2009 तक है। आईएसएसटी को यह काम सौंपा है – राजेश्वर सुशीला दयाल चैरिटेबल ट्रस्ट ने।

घरेलू हिंसा को कम करने में लघु बचत योजना का प्रभाव : एक अध्ययन

महिलाओं को सशक्त करने में लघु बचत एक रास्ता हो सकता है। क्या लघु बचत से घरेलू हिंसा में कमी आई है और यदि घरेलू हिंसा में कमी हुई है तो किन परिस्थितियों में ? इसकी जांच–पड़ताल के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग ने आईएसएसटी को इस अध्ययन की जिम्मेदारी सौंपी है। इस अध्ययन के लिए उत्तर भारत के हरियाणा राज्य को चुना गया। हरियाणा में रिवाड़ी, झज्झर और अंबाला में यह अध्ययन किया गया। राज्य के लगभग 12000 स्वयं सहायता समूहों में से अध्ययन के लिए कुछ सदस्यों को चुना गया। तीनों जिलों में स्वयं सहायता समूह की कुल 202 सदस्याओं से बातचीत की गई। सर्वे के लिए भारत सरकार के महिला और बाल विकास विभाग द्वारा तैयार विस्तृत प्रश्नावली का उपयोग किया गया। संवेदनशील मुद्दों को सामने लाने के लिए यह प्रश्नावली पर्याप्त नहीं थी। अतः इसके लिए तीनो

अध्ययन क्षेत्रों में समूह चर्चा और विस्तृत बातचीत की गई। सर्वे से जुटाये गये तथ्यों के विश्लेषण का काम जारी है।

30 नवंबर 2009 को होने वाली कार्यशाला में अध्ययन के निष्कर्षों की प्रस्तुति की जाएगी।

वर्तमान रोजगार नीतियों और महिलाओं के काम पर राष्ट्रीय सम्मेलन

अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट ने 6–7 जुलाई को संयुक्त रूप से राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन का विषय था – वर्तमान रोजगार नीतियों और महिलाओं का काम।' आईएसएसटी ने इस सम्मेलन में तकनीकी सहयोग दिया। इस सम्मेलन के परचे और रिपोर्ट तैयार हो गई है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने इस काम के लिए आर्थिक सहयोग दिया।

सबके लिए शिक्षा

देश के ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की स्थिति जानने के लिए यह अध्ययन किया गया। अध्ययन के प्रारंभिक निष्कर्षों की प्रस्तुति सम्मेलन में की गयी। आईएसएसटी बैंगलोर ने इस अध्ययन के अंतर्गत देश के दक्षिणी राज्यों में शिक्षा के क्षेत्र में किये गये अभिनव पहल पर गुणात्मक अध्ययन किया है। इस अध्ययन के लिए आर्थिक सहयोग दिया है– आईडीआरसी, कनाडा ने।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वाले लगभग 57,110 लोगों के बीच 'सेवा महिला ट्रस्ट' काम कर रहा है। सेवा महिला ट्रस्ट का मुख्य उद्देश्य शहर के बदलते परिवेश में इन लोगों की जीविका को सुरक्षित रखकर उन्हें मुख्य धारा में लाना है।

अहमदाबाद शहर में इन पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक–आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम का कितना असर हुआ है, इसे समझने के लिए सेवा महिला ट्रस्ट ने आईएसएसटी को बेसलाईन और एंडलाईन सर्वे का काम सौंपा है।

सितंबर 2009 में बेसलाईन सर्वे की रिपोर्ट सेवा को सौंप दी गई है। एंडलाईन सर्वे 2011 में होगा।

आई. टी. अपग्रेडेशन के लिए सहयोग

आईएसएसटी की शोध और प्रचार–प्रसार की क्षमता बढ़ सके इसके लिए आईटी अपग्रेडेशन और आई टी प्रशिक्षण के लिए संस्था को सहयोग राशि मिली है। आईएसएसटी को यह आर्थिक सहयोग मिला है इंटरनैशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर, कनाडा से।

निर्धन वर्ग के लिए बैंगलोर में आईटी की क्या सुविधायें हैं इस विषय पर आईएसएसटी, बैंगलोर में एक अध्ययन भी चल रहा है। यह अध्ययन इसी अनुदान का एक हिस्सा है।

बैंगलोर में निर्धन वर्ग के लिए आईटी सुविधायें : एक अध्ययन

इस अध्ययन के अंतर्गत बैंगलोर में निम्न आय समूह, खासकर इस वर्ग के बच्चों के लिए उपलब्ध आईटी संबंधित कार्यक्रम और कार्यक्रमों तक उनकी पहुंच का मूल्यांकन किया जाएगा। यह अध्ययन इन कार्यक्रमों की गुणवत्ता और प्रभावशीलता पर केंद्रित होगा।

इसके साथ ही अध्ययन में इस विषय से संबंधित उपलब्ध साहित्य की समीक्षा की जाएगी। साथ ही शहर में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में से चयनित कार्यक्रमों का सर्वे और मुख्य संचालकों से बातचीत की जाएगी। काम के तरीके और

कार्यक्रमों के असर को समझने के लिए कुछ प्रशिक्षार्थियों से भी बातचीत की जाएगी।

बस्ती विकास कार्यक्रम

आईएसएसटी ने सन् 2000 में पूर्वी दिल्ली में बस्ती विकास कार्यक्रम की शुरुआत की थी। तब से बस्ती के बीच आईएसएसटी के काम और गतिविधियों का लगातार विस्तार हो रहा है। जानकारी, शिक्षा और संवाद के माध्यम से युवा वर्ग को जागरूक बनाना इसका मुख्य लक्ष्य है। इसके लिए समूह चर्चा, गोष्ठियां, नाट्य समूह, फिल्म क्लब, कम्प्यूटर प्रशिक्षण आदि विभिन्न गतिविधियां चलायी जाती हैं।

जुलाई में आईएसएसटी ने आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज और दिल्ली सरकार की योजना के अंतर्गत जेंडर रिसोर्स सेंटर की शुरुआत की है। कम्युनिटी कॉलेज इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इगनू)से संबद्ध है।

समूह चर्चायें

पिछले तीन माह के दौरान मित्रता, आरक्षण और भ्रष्टाचार विषय पर समूह चर्चायें आयोजित की गईं। इस चर्चा में आस–पास की बस्तियों के किशोर वय के लड़के–लड़कियों, कम्युनिटी सेंटर के समन्वयक, कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। 'मित्रता और सच्चा मित्र कौन है' इसका अर्थ बताते हुए चर्चा की शुरुआत युवावर्ग ने की। सही रास्ता बताने वाला ही सच्चा मित्र हो सकता है, इसके साथ ही यह चर्चा समाप्त हुई।

अगली समूह चर्चा का विषय था – आरक्षण। बच्चों ने चर्चा की शुरुआत करते हुए आरक्षण पर अपने–अपने विचार रखे। तीसरी समूह चर्चा का विषय था – भ्रष्टाचार। इस समूह चर्चा के दौरान बच्चों को फूड कमिश्नर को शिकायत पत्र लिखने के लिए कहा गया। इस शिकायत पत्र में प्र्याप्त मात्रा में राशन नहीं मिलने और खराब किस्म का राशन मिलने की शिकायत की गई।

फ्री एंड ओपन सोर्स साफ्टवेयर (फॉस)और लीनक्स पर कार्यशाला

आईएसएसटी, साथी सेंटर कल्याणपुरी में 11–13 सितंबर 2009 को लीनक्स और फॉस पर तीन दिन की कार्यशाला का आयोजन किया गया। जानकारी, मीडिया और शहरी समाज के क्षेत्र में सेंटर फॉर दि स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसायटी द्वारा चलाये जा रहे रिसर्च और एक्शन कार्यक्रम के अंतर्गत सराय के कार्यकर्ताओं ने यह प्रशिक्षण दिया। इस कार्यक्रम में लगभग 15 बच्चों ने हिस्सा लिया। प्रतिभागियों के लिए यह एक नए तरह का अनुभव था – लीनक्स और फ्री एंड ओपन सोर्स साफ्टवेयर उन्हें कम्प्यूटर एप्लीकेशंस की दुनिया की जानकारी इकट्ठी करने की कानूनी आजादी देता है। फॉस के दर्शन और फायदे को समझने में प्रतिभागियों ने बहुत रुचि दिखायी। जीआईएमपी और ओपन ऑफिस जैसे नए सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशंस को सीखने में भी उनकी बहुत रुचि है।

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय(इगनू) के साथ आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज की शुरुआत वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की नई पहल है। इसके अंतर्गत आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज में छः–छः माह के दो सर्टिफिकिट पाठ्यक्रम चलाये जायेंगे। ये पाठ्यक्रम हैं फंक्शनल इंग्लिश कोर्स और कम्प्यूटर कोर्स। इन पाठ्यक्रमों की सफलतापूर्वक समाप्ति पर इगनू सर्टिफिकिट देगा।

इगनू द्वारा शुरु की गई इस वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था का उद्देश्य समाज के निर्धन वर्ग के युवक–युवतियों में इस तरह की योग्यता निर्माण करना जिससे वे स्थानीय उद्योग या कम्युनिटी में

सार्थक रोजगार पा सकें। आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज में जुलाई 2009 से फंक्शनल इंग्लिश का कोर्स शुरू हो गया है।

मोबाईल रिपेयरिंग प्रशिक्षण

जनशिक्षण संस्थान के सहयोग से साथी सेंटर में मोबाईल मरम्मत का प्रशिक्षण दिया गया। तीन माह के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत अगस्त से हुई। इस प्रशिक्षण में कल्याणपुरी साथी सेंटर से 23 बच्चों ने हिस्सा लिया।

मंदी में महिलाएं

भारत में रोजगार के सटीक आंकड़े ही अभी उपलब्ध नहीं हैं ऐसी स्थिति में यह जानने का कोई तरीका नहीं है कि मंदी ने यहां औरतों और मर्दों के रोजगार पर अलग–अलग कैसा असर डाला है। लेकिन अमेरिका और कनाडा में तो मंदी ने एक चमत्कार ही कर डाला है। मौजूदा साल बीतने तक इन दोनों देशों में नौकरी करने वाली औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा दर्ज की जाएगी। कनाडा में यह ऐतिहासिक घटना संपन्न हो चुकी है और अमेरिका के हालात बता रहे हैं कि अगले दो–तीन महीनों में वहां भी नौकरीपेशा पुरुषों की संख्या महिलाओं से कम होगी। किसी सामान्य दौर में यह हुआ होता तो शायद नारीवादी संगठन इसे अपने संघर्ष के जयघोष में बदल देते। लेकिन अमेरिका में, जहां हर दस में से एक व्यक्ति अपनी रोजी–रोटी खोकर बेकार पड़ा है, इस सूचना का कोई खास मतलब नहीं है। पिछले एक–डेढ़ वर्षों में वहां पुरुष बाहुल्य वाले मेहनत मशक्कत के काम–धंधों में सबसे ज्यादा छंटनी हुई है, जबकि स्त्री बहुलता वाले शिक्षा, स्वास्थ्य आदि क्षेत्रों में छंटनी के बजाय थोड़ी–बहुत नौकरियां बढ़ी ही हैं। इसके अलावा म्युनिसिपैलिटी में और कुछ कारखानों में देखरेख से जुड़ी नौकरियों में पुरुष कामगारों को निकाल कर उनसे कम पगार पर काम करने को राजी स्त्रियों को कांट्रेक्ट पर रख लिया गया है। इसमें सचमुच ऐतिहासिक कहलाने लायक कोई बात होती तो इसका श्रेय अब से पैंसठ साल पहले, यानी द्वितीय विश्वयुद्ध के ठीक बाद पूर्व सोवियत संघ की औरतों को जाता, जो लड़ाई में देश के ज्यादातर पुरुषों के मार दिए जाने या अपंग हो जाने के कारण कई वर्षों तक देश की तीन चौथाई से भी ज्यादा नौकरियां संभाल रही थीं। कनाडा और अमेरिका की नौकरियों में औरतों का आगे निकलना एक आपातकालीन व्यवस्था है, जो मंदी बीतने के साथ पहले जैसी ही होती जाएगी। कुछ साल पहले ब्रिटेन में किया गया एक अध्ययन बताता है कि हर मंदी के बाद नौकरियों में स्त्री–पुरुष अनुपात पहले से थोड़ा बेहतर होता जाता है। इस अध्ययन के अनुसार 1959 से 1999 के बीच वहां कामकाजी उम्र के पुरुषों का प्रतिशत 94 से गिरता हुआ 79 पर आ गया था जबकि इसी अवधि में स्त्रियों के मामले में यह प्रतिशत 47 से बढ़कर 67 तक पहुंच गया था। घर से निकलकर कारखानों और दफ्तरों में काम करने वाली औरतों की संख्या अगड़े–पिछड़े सभी देशों में लगातर बढ़ रही है और मंदी के झटके हर बार इसमें कुछ न कुछ मदद ही पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसके समानांतर उनके लिए कार्य स्थितियां सुधारने और समान काम के लिए पुरुष सहकर्मियों के समान वेतन देने में समाज की रूढ़िवादी सोच उतनी तेजी से नहीं बदल रही है।

नवभारत टाइम्स से साभार

जेंडर पॉलिसी फोरम

आईएसएसटी और आईएचसी द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित जेंडर पॉलिसी फोरम के 16 वें सत्र का आयोजन 4 अगस्त 2009 को हुआ। यह आयोजन इंडिया हैबिटेट सेंटर के कैजुरीना सभागार में हुआ। विषय था : 'स्टेट, मार्किट, फैमिली : एन एक्सप्लोरेशन ऑफ एशियन वाइव्स' कंट्रीब्यूशन टू देयर हाउसहोल्ड इन्कम इन द युनाइटेड स्टेट्स।' स्टेट युनिवर्सिटी अरकनसास, यूएसए के जॉगरफी, सोशियोलॉजी और क्रिमिनालॉजी विभाग की असिस्टेंट प्रोफेसर सोशियालॉजी की डॉ. वीना एस. कुलकर्णी प्रमुख वक्ता थीं। नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक, फायनेंस एंड पॉलिसी, नई दिल्ली की फैलो (एसोसिएट प्रोफेसर) डॉक्टर लेखा चक्रवर्ती ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

अन्य समाचार

अबोध बच्चों पर कुपोषण की मार

यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट के अनुसार विकासशील दुनिया में पांच साल से कम उम्र के करीब बीस करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिनका विकास कुपोषण के कारण रुक गया है। इस 'ट्रैकिंग प्रोग्रेस ऑन चाइल्ड एंड मैटरनल न्यूट्रिशन' नामक स्टेट्स रिपोर्ट के आधार पर अगर भारत और अन्य विकासशील देश मां और बच्चे के कुपोषण की वजहों को दूर नहीं करते तो आने वाले समय में बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी।

भारत और विश्व

विकासशील देशों में हर साल जन्मे कम वनज वाले 1.9 करोड़ बच्चों में 74 लाख अकेले भारत के होते हैं।

विकासशील दुनिया के 80 प्रतिशत अविकसित बच्चे 24 देशों में रह रहे हैं।

कुपोषण से अविकसित बच्चों के मामले में अफगानिस्तान पहले नंबर पर और भारत का नंबर बारहवां है।

बांग्ला –देश, भारत, तिमोर–लेस्ते, और यमन में कम वज़न वाले कुपोषित बच्चों की दर सबसे ज्यादा 40 प्रतिशत से भी अधिक है।

क्या कहती है रिपोर्ट

बच्चों का विकास रुकने की बड़ी वजह बचपन में कुपोषण है। यह पांच साल से कम उम्र की बच्चों में एक–तिहाई मौतों की बड़ी वजह भी है।

गर्भ में आने के बाद से बच्चे के दूसरे जन्मदिन तक की अवधि (करीब 1,000 दिन) बच्चे के विकास के लिए बहुत जरूरी हैं।

पांच साल से कम उम्र के अंडरवेट बच्चों की संख्या भारत में सबसे ज्यादा। इनमें से एक तिहाई पर मौत का खतरा।

भारत में कुपोषण की वजह से अविकसित बच्चों की ज्यादा तादाद का कारण आबादी अधिक होना है।

रोकथाम क्यों जरूरी

यूनिसेफ प्रमुख एन एम वेनमैन के अनुसार कुपोषण से बच्चे की शक्ति कम पड़ जाती है और वह बीमार रहता है। इससे शरीर और कमजोर हो जाता है।

निमोनिया, डायरिया और अन्य रोगों से मरने वालों में एक–तिहाई से ज्यादा अगर कुपोषण का शिकार न हों तो उन्हें बचाया जा सकता है।

इतने बड़े स्तर पर कुपोषण की मौजूदगी को पब्लिक हैल्थ इमरजेंसी के तौर पर लेना होगा। इमरजेंसी फीडिंग प्रोग्राम से तुरंत दखल देने की जरूरत है।

नवभारत टाइम्स(पीटीआई)से साभार

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91–11–47682222

इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट

समाचार पत्रिका

वर्ष 16, अंक 4

अक्टूबर से दिसम्बर 2009

यह अंक

नारी का श्री और लक्ष्मी रूप

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

आई.एस.एस.अध्ययन

समान मजदूरी अधिनियम

जेंडर और केयर

पटरी पर सामान बेचने वाले

जेंडर रिसोर्स सेंटर :सामाजिक सुविधा केंद्र

देश और समाज के विकास के लिए जरूरी है – आधी दुनिया का सहयोग। इसके लिए जरूरी है महिलाओं को समान अवसर देना। महिला–पुरुष समानता की बात तो दूर, हमारे देश के कई हिस्सों में बेटी का जन्म भी अभिशाप माना जाता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की केंद्र ही महिला है, लेकिन उसके इस योगदान का कोई महत्त्व नहीं है। यह ग्रामीण अनपढ़ महिला नवजात शिशु से लेकर वृद्ध, बीमार सदस्यों की देखभाल करती है। जरूरत पड़ने पर परिवार की अर्थव्यवस्था भी संभालती है।

इस बहुआयामी भारतीय स्त्री का मूल्यांकन विदेशी नजरिए से नहीं हो सकता, यहां परिवार आज भी समाज का केंद्र है – इसे बता रहे हैं डॉ. मुरली मनोहर जोशी।

इसके साथ ही आईएसएसटी में चल रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी भी प्रस्तुत है।

नारी का 'श्री' और 'लक्ष्मी' रूप

डॉ. मुरली मनोहर जोशी

भारतीय समाज में महिलाओं के साथ आर्थिक और सामाजिक तौर पर जिस तरह का व्यवहार किया जाता है, उसकी गंभीरता से समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इसके लिए उन्हें पश्चिमी देशों की महिलाओं के साथ रख कर नहीं देखना चाहिए। पश्चिम के बड़े देशों जैसे अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, जर्मनी, नॉर्वे, डेनमार्क में परिवार नामक संस्था मोटे तौर पर टूट चुकी है। बाकी देशों में भी परिवार उतना महत्त्वपूर्ण स्थान नहीं रखता। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है।

भारतीय समाज का केंद्र बिंदु ही परिवार है और उसकी धुरी महिला है। इसीलिए भारत में महिला के साथ सामाजिक व्यवहार या उसके प्रति दृष्टिकोण पश्चिमी देशों में प्रचलित दृष्टिकोण से बिल्कुल अलग है। उदाहरण के तौर पर भारत में एक ग्रामीण महिला की स्कूली शिक्षा नगण्य होती है, लेकिन वह नवजात शिशु से लेकर मरणासन्न वृद्ध तक की देखभाल करती है। घर की बेटी, बेटे और दामाद को संभालती है। खेती पर भी निगाह रखती है। समय आने पर परिवार की अर्थ व्यवस्था भी संभालती है जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय की तुलना में कहीं ज्यादा बहुआयामी है।

भारतीय महिलाओं पर जब भी, जो भी जिम्मेदारी आती है, वे उसे पूरे मन से निभाती हैं। लेकिन हम उनके गुणों और प्रतिभा की उपेक्षा करते हैं। उनके योगदान का सम्मान नहीं करते और न बदले में कुछ देते ही हैं। कई राज्यों और अनेक जातियों में बेटी का जन्म आज भी अभिशाप माना जाता है। उसे भ्रूण में ही नष्ट कर दिया जाता है या जन्म लेने के बाद उपेक्षित सदस्य की तरह उसकी परवरिश होती है। हम यह भूल जाते हैं कि एक बालक की अपेक्षा बालिका को शिक्षित करने का अर्थ पूरे परिवार को शिक्षित करना होता है।

बालिका ही आगे चलकर मां बनती है। यदि वह स्वस्थ नहीं होगी तो उसकी संतान भी स्वस्थ नहीं हो सकती। लेकिन यह बहुत दुखद स्थिति है कि हमारे देश में प्रसव के पहले या बाद की देखरेख की ऐसी संस्थागत व्यवस्था नहीं है, जो उसे अधिकार के तौर पर मिले।

इतना ही नहीं, देश में महिलाएं जितना काम कर रही हैं, उनका प्रगति में उतना योगदान नहीं माना जाता। उन्हें समाज में वह स्थान नहीं मिलता जिसकी वे हकदार हैं। घर में मां, पत्नी या बहन जितना काम करती हैं, वह जीडीपी में नहीं जुड़ता। यदि कोई महिला नौकरी करती है तो उसकी आय जीडीपी में जुड़ जाती है, लेकिन यदि उसका विवाह कंपनी के मालिक से हो जाए और वह उसी कंपनी के लिए काम करती रहे तो भी उसकी आय जीडीपी से बाहर हो जाती है।

महिलाओं के प्रतिनिधित्त्व के सवाल को भी उचित महत्त्व नहीं दिया जाता। संसद और विधानसभाओं में उनके रिजर्वेशन का विधेयक वर्षों से लटका पड़ा है। समाज में कई वर्ग महिलाओं को बराबरी का स्थान देना अनुचित मानते हैं। उससे बचने के लिए वे तरह–तरह के तर्क सोचते हैं। भारतीय महिला की सहिष्णुता और उत्तरदायित्त्व निभाने की उसकी प्रतिबद्धता को उसकी कमजोरी माना जाता है। हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तो धुरी ही महिला है लेकिन वहां उसके प्रति संवेदनशीलता का घोर अभाव है।

शहरी महिलाओं के प्रति हमारे दृष्टिकोण और व्यवहार की तुलना में ग्रामीण तथा श्रमिक महिलाओं के प्रति व्यवहार में भारी अंतर होता है। वंचित, पीड़ित, तथा प्रताड़ित दलित महिलाओं के प्रति हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। उनके साथ बलात्कार तथा मारपीट की खबरें आम हैं, यहां तक कि दूधमुंही बच्चियां तक सुरक्षित नहीं होतीं। ऐसे कलंक मिटाने के लिए बड़े भारी क्रांतिकारी परिवर्तन और सामाजिक क्रांति की आवश्यकता है। सामाजिक रूढ़ियां इस रास्ते में सबसे बड़ी बाधा हैं। इसके अतिरिक्त बहुत सारे पुराने धार्मिक आडंबर भी उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं।

देश और समाज के विकास के लिए इस आधी आबादी का पूर्ण सहयोग जरूरी है। इसके लिए आवश्यकता है कि महिलाओं को समान रूप से शिक्षा दी जाए। कुछ विषय ऐसे हैं जिन्हें वे सहज और स्वाभाविक रूप से सीख सकती हैं। उनके लिए ज्ञान–विज्ञान के क्षेत्र में जाने के भी और रास्ते खोले जाएं। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स जैसे हमारे सामने अनेक उदाहरण हैं, जिन्होंने मौका मिलने पर अपने देश और समाज का नाम रौशन किया। लेकिन ऐसे उदाहरण भी कम नहीं हैं कि अच्छे अंक लेकर अपनी प्रतिभा का परिचय देने वाली ज्यादातर बालिकाएं विवाह के बाद कुंठित हो जाती हैं। ऐसे परिवार कम ही हैं जहां बहुओं को अपनी प्रतिभा विकसित करने का पूरा मौका मिलता हो। जबकि उनकी प्रतिभा का लाभ देश को और उस परिवार को मिल सकता है, जिसका वे हिस्सा बनती हैं।

महिलाओं के विकास के लिए आधुनिक तकनीक वाली योजनाओं की मदद ली जा सकती है जिससे वे घर बैठ कर अपनी प्रतिभा का उपयोग कर सकें। बीपीओ से लेकर कम्प्यूटर की मदद से ऑनलाइन रिसर्च तक बहुत सारे काम हैं। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि उनके लिए बाहर का कोई क्षेत्र बंद किया जाए। वायुसेना में कुछ क्षेत्र अब भी महिलाओं के लिए वर्जित हैं। ऐसे क्षेत्र खोलने के लिए महिलाओं का स्वर तेज हो रहा है। यह आवाज सुनी जानी चाहिए।

विधवाओं के प्रति भी दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता है। उनके निरर्थक और शून्य बनाए गए जीवन को सार्थक बनाने की जरूरत है। विधवा महिलाओं को सार्थक जिंदगी जीने के किसी भी मौके से वंचित नहीं किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में उन्हें घरों में बंद करके रखा जाता है। जबकि सब प्रकार के कार्यों में उनकी भागीदारी होनी चाहिए। इस पर भी जनजागरण और जनचेतना फैलाने की आवश्यकता है। पश्चिम की नकल में नारी स्वाधीनता के नाम पर उसे एक उपभोक्ता सामग्री के रूप में पेश किया जा रहा है। यह ठीक है कि नारी प्रकृति की बहुत सुंदर कृति है, लेकिन हम सत्यम, शिवम, सुंदरम के उपासक हैं। हमारे यहां वह महाकाली का रूप भी धारण करती है और तब उनका क्रोध शांत करने के लिए शिव को भी नत मस्तक होना पड़ता है। हमें नारी का अन्नपूर्णा, सरस्वती और दुर्गा के सम्मिलित व्यक्तित्त्व का निर्माण करना चाहिए, जिससे समाज में 'श्री' और 'लक्ष्मी' की बढ़ोत्तरी हो सके।

नवभारत टाइम्स से साभार

समान मजदूरी अधिनियम : एक अध्ययन

श्रम बाज़ार में जेंडर समानता के संदर्भ में समान मजदूरी अधिनियम (1976) महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। हालांकि इस अधिनियम का बहुत कम उपयोग होता है। खासकर, असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों की इस अधिनियम तक पहुंच नहीं है। इस अधिनियम की सलाहकार समिति भी है। लेकिन धीरे–धीरे इस सलाहकार समिति का अस्तित्त्व भी खत्म होता जा रहा है।

इस अधिनियम, सलाहकार समिति की स्थिति और अधिनियम के उपयोग की सीमाओं को समझने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के सहयोग से एक अध्ययन कर रहा है।

इस अध्ययन में अधिनियम की संक्षिप्त समीक्षा की जाएगी जैसे : यह अधिनियम कब पारित हुआ, अधिनियम बनते समय यदि उस पर हुई बहस कहीं दर्ज है तो उसकी जानकारी आदि।

इस अधिनियम के अंतर्गत अभी तक जो केस दायर किए गए, उनके विश्लेषण से पता किया जाएगा कि किस क्षेत्र के मजदूरों या मजदूर समूहों ने इस अधिनियम का ज्यादा उपयोग किया है। पिछले वर्षों में इस तरह के कितने मामले दर्ज हुए हैं। न्यूनतम मजदूरी अधिनियम का उपयोग करने के लिए महिला मजदूरों को प्राथमिकता दी गई है। इसका भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत स्त्री–पुरुष को

समान काम के लिए वितरित की गई असमान मजदूरी की शिकायतों की भी समीक्षा की जाएगी।

इस अधिनियम के बारे में ट्रेड यूनियन के नेताओं और वकीलों से बातचीत की जाएगी। यह बातचीत ऐसे लोगों से की जाएगी, जो इस अधिनियम के बारे में जानकारी रखते हैं और इसका उपयोग करते हैं, जो जानकारी तो रखते हैं, लेकिन उपयोग नहीं करते और जिन्हें इस अधिनियम के बारे में पता ही नहीं है। इस साक्षात्कार में समान मजदूरी अधिनियम का उपयोग नहीं करने के कारण, कमी, मुद्दे, चुनौतियों और इसमें सुधार के लिए सुझाव को जानने की भी कोशिश की जाएगी।

अध्ययन से निकले निष्कर्षों पर चर्चा के लिए एक वर्कशॉप आयोजित की जाएगी।

जेंडर संवेदनशील मूल्यांकन अध्ययन

देश में महिलाओं से संबंधित चल रही योजनाओं के मूल्यांकन की समीक्षाओं और इन मूल्यांकन अध्ययनों में आवश्यक परिवर्तन की जरूरत को समझने के उद्देश्य से आईएसएसटी द्वारा निकट भविष्य में एक गोष्ठी आयोजित करने की योजना है। इस गोष्ठी में पारदर्शी और जेंडर संवेदनशील मूल्यांकन अध्ययनों को प्रस्तुत किया जाएगा। यह वर्कशॉप इंटरनेशनल डेवलपमेंट रिसर्च सेंटर के सहयोग से की जायेगी।

जेंडर और केयर

पिछले दिनों आईएसएसटी और यूनिसेफ ने संयुक्त रूप से दो दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया। यह वर्कशॉप 8–9 दिसंबर 2009 को सूरजकुंड में स्थित क्लेरिजिस होटल में आयोजित की गई। चर्चा का विषय था – देखभाल पाने और देखभाल करने से संबंधित महिलाओं के अधिकार को अनौपचारिक, राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय नीति निर्धारण में जगह मिल सके। साथ ही देखभाल की विविधता की जरूरतों और व्यापक स्तर पर उसके आकार पर भी चर्चा हुई।

पटरी पर सामान बेचने वाले : एक अध्ययन

अहमदाबाद शहर में पटरी पर सामान बेचने वालों की सामाजिक–आर्थिक और काम की परिस्थितियों पर जीवकोपार्जन की सुरक्षा तथा योग्यता निर्माण के क्षेत्र में सेवा महिला ट्रस्ट के काम के असर को समझने के लिए आईएसएसटी द्वारा मूल्यांकन अध्ययन किया गया। यह अध्ययन बेस लाईन सर्वे के माध्यम से किया गया।

उद्देश्य

मार्च–मई 2009 में यह सर्वे किया गया। योजना के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सेवा यूनियन के साथ बातचीत करके इस अध्ययन में इन जानकारियों को शामिल किया गया। जैसे – चुने हुए बाजारों के पटरी विक्रेताओं की जानकारी, घर के आस–पास उपलब्ध बुनियादी जरूरतें, काम की स्थिति, बिक्री की मजबूरी और समस्यायें, आमदनी, खर्च, बचत और कर्ज, सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच तथा सेवा और अन्य सरकारी संस्थाओं जैसे असंगठित मजदूर कल्याण बोर्ड द्वारा दी जाने वाली योजनाओं की पात्रता। इसके अलावा इस अध्ययन में सेवा द्वारा दिये जाने वाले विभिन्न प्रशिक्षणों तक इनकी पहुंच और इनकी आजीविका पर शहरी विकास के असर से संबंधित जानकारी भी जुटायी गई।

काम का तरीका

इस नमूना सर्वे में अहमदाबाद शहर में 17 बाजार क्षेत्रों में फैले 461 पटरी विक्रेताओं को शामिल किया गया। इनमें 430 महिला विक्रेता और 31 पुरुष विक्रेता हैं। लगभग ये सभी विक्रेता (454) सेवा यूनियन के सदस्य हैं। इस अध्ययन के लिए प्रश्नावली का उपयोग किया गया।

निष्कर्ष

घर के आसपास का ढांचा और बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच

सर्वेक्षण के लिए चयनित अधिकतर उत्तरदाताओं के अपने घर हैं। घरों में अहमदाबाद नगर निगम से पानी आता है। इनमें से अधिकांश लोगों को टोरेंट पावर कारपोरेशन से बिजली मिलती है। ज्यादातर लोग औसत 376 रुपए मासिक बिजली पर खर्च करते हैं। अधिकांश घरों में शौचालय की सुविधा है। इनमें से कुछ ही परिवार ऐसे हैं, जो बाहर जाते हैं। ज्यादातर उत्तरदाता कच्चे घर में रहते हैं।

चयनित उत्तरदाताओं में से लगभग 50 प्रतिशत ईंधन के लिए लकड़ी का उपयोग करते हैं।

50.10 प्रतिशत विक्रेताओं ने बताया कि गंभीर बीमारी की स्थिति में सरकारी अस्पताल जाते हैं। लगभग इतने ही लोग 46.40 प्रतिशत विक्रेता प्रायवेट चिकित्सा सुविधाओं का उपयोग करते हैं। चयनित उत्तरदाताओं में से अधिकतर 94.14 प्रतिशत इलाज पर खर्च करते हैं।

61 प्रतिशत उत्तरदाता बच्चों को स्कूल भेजते हैं।

पहचान पत्र

लगभग 92 प्रतिशत उत्तरदाताओं के पास चुनाव पहचान–पत्र हैं। इनमें से कुछ उत्तरदाताओं के पास राशन कार्ड, सेवा कामदार कल्याण बोर्ड द्वारा दिए गये पहचान पत्र भी हैं। लगभग 76 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने असंगठित कामदार कल्याण बोर्ड में नामांकन कराया है। इनमें से कुछ इलाकों में नामांकन नहीं कराने वाले विक्रेताओं की संख्या अपेक्षकृत बहुत अधिक है। ये इलाके हैं बापू नगर, पारस नगर, मानेक चौक और गोमतीपुर।

बिक्री की जगह पर बुनियादी सुविधायें

अधिकांश विक्रेताओं ने बताया कि बिक्री की जगह पर शौचालय, पीने का पानी, शेल्टर, आराम करने की जगह, स्ट्रीट लाईट जैसी बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं। इनमें से अधिकांश लोग इन सुविधाओं के लिए पैसा देने के लिए भी तैयार हैं।

इनमें से कुछ लोग बहुत जल्दी खराब हो जाने वाले पदार्थों की बिक्री करते हैं। कुछ लोगों ने बताया कि वे देर तक टिकने वाले सामान की बिक्री करते हैं और कुछ लोग दोनों तरह के सामान की बिक्री करते हैं। केवल 30 लोगों ने कहा कि उन्हें सामान रखने की सुविधा प्राप्त है।

ज्यादातर उत्तरदाताओं ने बताया कि काम से संबंधित समस्या होने पर वे सेवा से संपर्क करते हैं।

आमदनी, खर्च, बचत और उधार

इस सर्वे के लिए चयनित ये विक्रेता औसत 103 रुपए प्रतिदिन कमाते हैं। मानेक चौक में सबसे कम यह आमदनी 65 रुपए और उत्तम नगर में सबसे अधिक 155 रुपए बताई गई। खाने और आराम करने के समय को छोड़ दें तो ये विक्रेता औसत आठ घंटे काम करते हैं। इनमें से अधिकांश विक्रेताओं ने बताया कि वे दिन में दस घंटे काम करते हैं।

ज्यादातर विक्रेताओं (407) ने बताया कि पिछले दो वर्षों में उनकी आमदनी गिरी है। केवल 81 उत्तरदाताओं ने कहा कि वे माह में 170–341 रुपए की बचत करते हैं। 363 विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें कर्ज की जरूरत पड़ती है। विक्रेताओं की एक बड़ी संख्या (188) ने हाल ही में स्थानीय साहूकारों से कर्ज लेना शुरू किया है। केवल 37 विक्रेताओं का कहना है कि वे सेवा के माध्यम से कर्ज लेते हैं।

मजबूरी और समस्यायें

अधिकांश विक्रेताओं के पास अहमदाबाद नगर निगम का लायसेंस नहीं है। केवल 41 विक्रेता अपनी जगह का किराया देते हैं। लगभग 333 लोगों का कहना है कि बाजार में सुरक्षित जगह के लिए वे किराया देने के लिए तैयार हैं।

220 विक्रेताओं ने बताया कि अहमदाबाद नगर निगम द्वारा उन्हें उनकी जगह से बेदखल किया गया या हटा दिया गया। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि उनका

सामान जब्त कर लिया गया। इनमें से ज्यादातर (173) लोगों ने अहमदाबाद नगर निगम से अपना सामान छुड़ा लिया है। सामान छुड़वाने में उन्हें सेवा से मदद मिली। 116 विक्रेताओं ने बताया कि उन्हें उनकी जगह से पुलिस ने हटाया और पिछले एक माह में औसत अधिकतम 17 बार हटाया गया।

218 विक्रेताओं का कहना था कि बाज़ार में रिलायंस, सुभिक्षा जैसे फल, सब्जी बेचने वाले खुदरा व्यापारियों के आ जाने से उन्हें कॉम्पटीशन का सामना करना पड़ रहा है।

नमूना सर्वे में लिए गए कुल विक्रेताओं में से लगभग पचास प्रतिशत विक्रेताओं का कहना है कि बाजार में होने वाले नए निर्माण कार्यों के कारण उन्हें जगह से हटाए जाने की धमकी मिली है।

विक्रेताओं को उनकी जगह से बेदखल करना और हटा देने के आंकड़ों से पता चलता है कि बाजार में सुरक्षित जगह पाना विक्रेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। 203 विक्रेताओं ने बताया कि कोर्ट के सम्मन और शिकायतों को सुलझाने में सेवा की मदद लेते हैं।

सेवा : प्रचार, समर्थन और प्रशिक्षण

नमूना सर्वे के लिए चयनित ज्यादातर विक्रेताओं को सेवा और सरकारी विभिन्न योजनाओं की जानकारी है। खासकर, सेवा, लेकिन इन विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने वालों की संख्या बहुत कम है।

सर्वेक्षण के लिए चयनित अधिकतर (337) विक्रेताओं ने बताया कि जगह के संबंध में बनी सेवा की धंधा समितियों में हिस्सा लेते हैं।

146 विक्रेताओं ने सेवा से कानूनी प्रशिक्षण लिया है।

बाजार की स्वच्छता, कचरे का प्रबंधन, बाज़ार क्षेत्र के लिए अहमदाबाद नगर निगम द्वारा बनाये गये नियम–कानूनों की जानकारी, उत्पादन और बिक्री की जगह तथा बेदखली के समय अहमदाबार नगर निगम अधिकारियों के साथ व्यवहार जैसे मुद्दों पर लगभग 50 प्रतिशत विक्रेताओं ने प्रशिक्षण लिया।

ज्यादातर विक्रेताओं को बाज़ार समिति के विचार की जानकारी नहीं है। इनकी सदस्य संख्या बहुत कम है।

318 विक्रेता बाज़ार के रख–रखाव के लिए सामूहिक खर्च कोष में भुगतान के लिए तैयार हैं और 309 विक्रेता सामूहिक बचत कोष के लिए पैसा देने तैयार हैं।

जेंडर रिसोर्स सेंटर :सामाजिक केंद्र

पिछले दिनों दिल्ली सरकार ने समाज के सबसे उपेक्षित वर्ग के जीवन को सुधारने के लिए 'सामाजिक सुविधा संगम' के नाम से एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका मुख्य उद्देश्य है समाज के इस उपेक्षित वर्ग को बगैर किसी परेशानी के एक ही जगह पर विभिन्न योजनायें और सेवायें मिल सकें।

अपने उद्देश्य को प्राप्त करने और योजना के क्रियान्वयन के लिए जेंडर रिसोर्स सेंटर–सामाजिक सुविधा केंद्र नाम से क्षेत्रीय स्तर के संगठनों की स्थापना की गई है। इन संगठनों के संचालन के लिए प्रतिष्ठित गैर–सरकारी संगठनों का चयन किया गया है। इन चयनित गैर–सरकारी संगठनों में आईएसएसटी को भी शामिल किया गया है।

नौ सरकारी विभागों की विभिन्न योजनायें निर्धनतम और उपेक्षित वर्ग को एक ही जगह से उपलब्ध कराने का काम इन जीआरसी–सुविधा केंद्रों को दिया गया है। जीआरसी–सुविधा केंद्र यह काम दिल्ली के हरेक जिले में उप–आयुक्त(डीसी)कार्यालय से जुड़े जिला संसाधन केंद्र (डीआरसी) के सहयोग से करेंगे।

जीआरसी की मुख्य केंद्र बिंदु महिलायें तो हैं ही, लेकिन ये सुविधा केंद्र परिवार के अन्य सदस्यों की जरूरतों पर भी ध्यान देंगे। इस योजना में आश्रयहीन, महिला और बच्चे प्रधान परिवार, सेक्स वर्कर, कबाड़ी आदि का धंधा करने वाले परिवारों को प्रमुखता दी

जाएगी। जीआरसी के प्रमुख घटक : स्वास्थ्य, पोषाहार, अनौपचारिक शिक्षा, स्वयं सहायता समूह, पोषक तत्त्वों की जानकारी आदि माध्यमों से गैर–सरकारी संस्थाओं की इन परिवारों तक सीधी पहुंच की भूमिका होगी। इसके साथ ही सरकारी योजनाओं पर इनके अधिकारों की जानकारी देना और सामाजिक सुविधा केंद्र में आकर अधिकारपूर्वक वे इन योजनाओं को प्राप्त कर लाभ उठा सकें उन्हें इस योग्य बनाना भी इन गैर–सरकारी संस्थाओं का कर्तव्य होगा।

आईएसएसटी में 12 अक्टूबर 2010 से जेंडर रिसोर्स सेंटर–सुविधा केंद्र की शुरूआत हुई। आईएसएसटी ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए पूर्वी दिल्ली के कल्याणपुरी, खिचड़ीपुर और मयूर विहार फेज़ 2 को अपना कार्य क्षेत्र बनाया है।

जीआरसी–सुविधा केंद्र के लिए अलग से जगह नहीं मिलने के कारण कल्याणपुरी स्थित आईएसएसटी साथी केंद्र से ही यह काम शुरू हुआ। इस योजना में लगभग 9 कार्यकर्ता हैं।

इन कार्यकर्ताओं ने बस्ती में लोगों के साथ मीटिंग से अपने काम की शुरुआत की। इन बैठकों का मुख्य उद्देश्य जेंडर रिसोर्स सेंटर–सुविधा केंद्र के बारे में जानकारी देना, बस्ती की जरूरतों को समझना और उन्हें हल करने की संभावना तलाशना है। जीआरसी–सुविधा केंद्र के सफलतापूर्वक संचालन के लिए इन कार्यकर्ताओं ने स्थानीय नेताओं से बातचीत और संपर्क स्थापित करने की भी शुरुआत की।

इसके अलावा जीआरसी के कार्यकर्ताओं ने अपने निर्धारित कार्यक्षेत्र की बस्तियों का सर्वे किया। लगभग 25 बैठकें कीं। इन बैठकों में 133 लोगों ने हिस्सा लिया। इन बैठकों में जीआरसी–सुविधा केंद्र क्या है, इसके अंतर्गत विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी, बस्ती की व्यावसायिक जरूरतों के बारे में जानकारी लेना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्रीशिप कोटे के अंतर्गत स्कूलों में दाखिला आदि पर चर्चा की गई।

इन बैठकों में मुख्य रूप से सार्वजनिक वितरण प्रणाली, फ्रीशिप कोटे के अंतर्गत स्कूलों में दाखिला तथा वृद्ध, विकलांग और विधवा पेंशन की समस्यायें सामने आयीं।

इन सब कामों के साथ ही जीआरसी कार्यालय के लिए जगह की तलाश भी जारी रही। 1 दिसंबर 2010 से जीआरसी–सुविधा केंद्र ने अपने नए कार्यालय से काम शुरू कर दिया।

बस्ती की जरूरत के अनुसार सुविधा केंद्र में फिलहाल कटिंग और सिलाई तथा ब्यूटी पार्लर प्रशिक्षण करने का निर्णय लिया गया।

आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इगनू) द्वारा समाज के निर्धन वर्ग के युवक–युवतियों के लिए वैकल्पिक शिक्षा व्यवस्था की शुरुआत की गई है। जुलाई 2009 में शुरू हुए इन कम्युनिटी कॉलेजों की श्रृंखला में आईएसएसटी को भी जोड़ा गया।

इसके अंतर्गत आईएसएसटी कम्युनिटी कॉलेज ने जुलाई में फंक्शनल इंग्लिश छः माह के सर्टिफिकिट पाठ्यक्रम की शुरुआत की। कम्युनिटी कॉलेज के इस प्रथम सत्र में 30 छात्र–छात्राओं ने प्रवेश लिया। फंक्शनल इंग्लिश के इस पाठ्यक्रम में – जीवन से जुड़ी, दैनिक उपयोग में आने वाली बातों, जैसे : फल, सब्जी, मौसम, दिशा निर्देश आदि के अंग्रेज़ी नाम; हमारे जीवन में अंग्रेज़ी का महत्त्व और आवश्यकता; अंग्रेज़ी व्याकरण : संज्ञा, सर्वनाम,क्रिया आदि; अंग्रेजी के अक्षर, छोटे–छोटे वाक्य बनाना, अंग्रेज़ी में सामान्य वार्तालाप आदि को – रखा गया है।

पाठ्यक्रम की समाप्ति पर होने वाली परीक्षाओं की तिथि इगनू द्वारा अभी घोषित नहीं की गई है।

अन्य कार्यक्रम

इसके साथ ही पिछले चार सालों से भारतीय प्रतिष्ठान के सहयोग से आई एस एस टी साथी सेंटर में लगभग सभी आयु समूह के बच्चों के लिए विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं । ये कार्यक्रम हैं – बचपन, 'नक्षत्र' नाट्य समूह, सूचना का अधिकार और समूह चर्चा।

बचपन कार्यक्रम 1 से 5 वर्ष की आयु समूह के बच्चों के लिए है। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की कल्पनाशीलता और रचनात्मक कौशल को बढ़ाना; बच्चों में शिष्टाचार, विनम्रता, सदाचार आदि गुणों को विकसित करना; साफ–सफाई का महत्त्व समझाना और खेल–खेल में ही बच्चों को हिंदी, गणित और अंग्रेजी की सामान्य जानकारी देना है। इस तरह बच्चों के मन से पढ़ाई की बोझिलता कम होती है और वे खेल–खेल में ही बहुत कुछ सीख जाते हैं। इस समय इस कार्यक्रम से लगभग 100 बच्चे जुड़े हैं।

इन बच्चों के अभिभावकों को भी हम प्रोत्साहित करते हैं। उन्हें शिक्षा का महत्त्व समझाते हैं। कुछ अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार हुए। हमने बच्चों के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने में उनकी मदद की। इस तरह पिछले वर्ष 6 बच्चों का प्रायमरी स्कूल में दाखिला करवाया।

नक्षत्र नाट्य समूह में लगभग 15 बच्चे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों की अभिनय प्रतिभा को विकसित करना है। नाट्य कार्यशालाओं के माध्यम से उन्हें अभिनय की बारीकियों को समझाना है। जिससे वे इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

सूचना का अधिकार के अंतर्गत वृद्ध एवं विधवा पेंशन, जाति प्रमाण पत्र, राशन की अनियमितता, पहचान पत्र से संबंधित विभिन्न सरकारी विभागों में लगभग 18 आरटीआई डालीं।

पिछले तीन माह में हुए समूह चर्चा के विषय थे – पर्यावरण, हिंसा, पानी की कमी। इन चर्चाओं में लगभग 25 –30 बच्चों ने हिस्सा लिया।

जेंडर पॉलिसी फोरम

जेंडर पॉलिसी फोरम श्रृंखला की सत्रहवीं चर्चा का विषय था : मेज़रिंग जेंडर एम्पावरमेंट – व्हाट पॉलिसी इम्प्लीकेशंस। इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल स्टडीज़ ट्रस्ट और इंडिया हैबिटेट सेंटर ने संयुक्त रूप से इस बैठक का आयोजन किया। यह बैठक इंडिया आईएचसी के कैजुरीना सभागार में 6 नवंबर 2009 को आयोजित हुई।
प्रमुख वक्ता थे – इंटरनैशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, दिल्ली के सीनियर रिसर्च फैलो डॉक्टर अबुसलेह शरीफ। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, दिल्ली में अर्थशास्त्र की प्रोफेसर डॉक्टर आशा कपूर मेहता ने इस चर्चा में प्रमुख रूप से हिस्सा लिया।

आई.एस.एस.टी., अपर ग्राउंड फ्लोर, कोर 6–ए, इंडिया हैबिटेट सैंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 द्वारा प्रकाशित। संयोजन : मंजुश्री मिश्र। साज–सज्जा :मो. नसीम आरिफ। ई–मेल : isstdel@isst-india.org
वेबसाइट: www.isst-india.org फोन : 91–11–47682222